



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-12022020-216106
CG-DL-E-12022020-216106

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 609]

नई दिल्ली, बुधवार, फरवरी 12, 2020/माघ 23, 1941

No. 609]

NEW DELHI, WEDNESDAY, FEBRUARY 12, 2020/MAGHA 23, 1941

दिल्ली विकास प्राधिकरण

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 फरवरी, 2020

विषय: दिल्ली एकीकृत भवन-निर्माण उपविधि (यू.बी.बी.एल.) 2016 में संशोधन।

का.आ. 668(अ).—दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 (1957 का 61) की धारा 57 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिल्ली विकास प्राधिकरण केन्द्र सरकार के पूर्व अनुमोदन से एतद्द्वारा दिल्ली एकीकृत भवन-निर्माण उपविधि (यू.बी.बी.एल.)-2016 में निम्नलिखित संशोधन करता है:-

क्र. सं.	यू.बी.बी.एल. 2016 के अध्याय/पैरा/खंड/उपखंड	प्रस्तावित संशोधन
i	ii	iii
अध्याय-1		
1.	1.4.18 निर्मित क्षेत्र :- कैंटीलिवर युक्त भाग, मेजेनाइन तल, यदि कोई हो, सहित सभी तलों पर किसी भवन द्वारा कवर किया गया क्षेत्र किन्तु इन विनियमों के अंतर्गत विशिष्ट रूप से छोड़े गए क्षेत्रों को छोड़कर।	1.4.18 निर्मित क्षेत्र :- कैंटीलिवर युक्त भाग बेसमेंट, स्टिल्ट/पोडियम, उपयोगिता, सेवाओं, मेजेनाइन तल (यदि कोई दो हों), अन्य इसी तरह के क्षेत्रों सहित परिसर के अंदर, क्रियाकलापों के लिए प्रयुक्त अथवा उपयोग के लिए सभी तलों पर किसी भवन द्वारा कवर किया गया क्षेत्र।

2.	1.4.57 ग्राउंड कवरेज :- ग्राउंड लेवल से मापी गई संरचनात्मक दीवार/कॉलम/स्लैब, जिसमें एफ.ए.आर. से मुक्त अनुमत छज्जा/बालकॉनी/कैनोपी/पोर्च/वाँड/शाफ्ट शामिल नहीं है और 150 मिमी. तक की परत/दीवार के तल बाहरी तल के अंदर भवन के भाग को ग्राउंड कवरेज माना जाएगा।	1.4.57 ग्राउंड कवरेज :- ग्राउंड लेवल से मापी गई संरचनात्मक दीवार/कॉलम/स्लैब के अधिकतम बाहरी तल के अंदर भवन के भाग के ग्राउंड कवरेज माना जाएगा। (छज्जा/बालकॉनी/कैनोपी/पोर्च/वाँड/शाफ्ट/क्लैडिंग पर्दे की दीवार आदि की उल्लिखित सीमा को छोड़कर- देखें 7.17.2 एवं 8.10)
3.	1.4.75 (ख) शैक्षिक भवन :- इसमें कोई भी ऐसा भवन शामिल होगा, जिसको विद्यालय, महाविद्यालय या दिवस देखभाल (डे-केयर) प्रयोजनार्थ 8 घंटे प्रति सप्ताह से अधिक के लिए प्रयोग किया जाए इसमें अनुदेश, शिक्षा या मनोरंजन का समय भी शामिल होगा।	1.4.75 (ख) शैक्षिक भवन :- इसमें कोई भी ऐसा भवन होगा, जिसको विद्यालय, महाविद्यालय, कोचिंग सेंटर (20 से अधिक विद्यार्थियों के लिए) दिवस देखभाल (डे-केयर) प्रयोजनार्थ 8 घंटे प्रति सप्ताह से अधिक के लिए प्रयोग किया जाए, इसमें अनुदेश, शिक्षा या मनोरंजन का समय भी शामिल होगा।
4.	1.4.79 मुंडेर :- किसी छत या किसी तल के किनारे बनी छोटी दीवार या कोई जंगला, जो कम ऊंचे भवनों के लिए अधिकतम 1.5 मी. अथवा गगनचुंबी भवनों के लिए अधिकतम 1.8 मी. ऊंचा हो।	1.4.79 मुंडेर :- किसी छत या किसी तल के किनारे बनी छोटी दीवार या कोई जंगला। देखें 7.22।
5.	1.4.133 व्हील चेयर :- ऐसी कुर्सी जिसका प्रयोग निशक्त जन आने-जाने के लिए करते हैं। व्हील चेयर का आकार नीचे वर्णित है : छोटी व्हील चेयर: 0.75 X 1.05 मीटर बड़ी व्हील चेयर: 0.80 X 1.50 मीटर	1.4.133 व्हील चेयर :- ऐसी कुर्सी जिसका प्रयोग निशक्त जन आने-जाने के लिए करते हैं। 1.4.134 निजी प्रतिष्ठान :- इसका अर्थ है कि कोई कम्पनी, फर्म, सहकारी अथवा अन्य सोसाइटी, संघ, ट्रस्ट, एजेंसी, संस्था, संगठन, यूनियन, फैक्टरी या ऐसे किसी अन्य प्रतिष्ठान से है, जिसे उपयुक्त सरकार अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट कर सकती है। 1.4.135 सार्वजनिक भवन :- इसका अर्थ है कि सरकारी अथवा निजी भवन, जिसका उपयोग जनता द्वारा व्यापक रूप से किया गया हो, जिसमें ऐसा भवन शामिल है जिसका उपयोग शैक्षणिक अथवा व्यावसायिक उद्देश्यों, कार्यस्थल, व्यावसायिक क्रियाकलापों, सार्वजनिक उपयोगिताओं, धार्मिक, सांस्कृतिक, अवकाश के क्षणों अथवा मनोरंजनात्मक क्रियाकलापों चिकित्सा या स्वास्थ्य सेवाओं, विधि प्रवर्तन एजेंसियों रिफरमेट्रीज़ या न्यायिक फोरम, रेलवे स्टेशनों या प्लेटफॉर्मों, रोडवेज बस स्टैंड अथवा टर्मिनलों, एयरपोर्ट अथवा जलमार्गों के लिए किया गया हो।
	अध्याय 2	अध्याय 2
6.	2.0.1 प्रक्रिया (ख) भवन निर्माण नक्शों की मजूरी के लिए आवेदन से लेकर कार्य-समापन और अधिभोग प्रमाणपत्र जारी करने तक की संपूर्ण प्रक्रिया में निम्नलिखित चरण निहित होंगे:	2.0.1 प्रक्रिया (ख) भवन निर्माण नक्शों की मजूरी के लिए आवेदन से लेकर कार्य-समापन और अधिभोग प्रमाणपत्र जारी करने तक की संपूर्ण प्रक्रिया में निम्नलिखित चरण निहित होंगे:

<p>i) बिल्डिंग परमिट शुल्क, ड्राइंगों और दस्तावेजों के साथ सामान्य आवेदन पत्र (सी.ए.एफ.) में भवन निर्माण नक्शे की संस्वीकृति के लिए आवेदन-पत्र प्रस्तुत करना।</p> <p>ii) निर्धारित अवधि के अंदर संस्वीकृति प्रदान करना।</p> <p>iii) यथा लागू अपेक्षित शुल्क और प्रभारों का भुगतान और संस्वीकृत भवन नक्शे जारी करना।</p> <p>iv) कुरसी स्तर (प्लिथ लेवल) तक कार्य पूरा होने की सूचना।</p> <p>v) कुरसी स्तर निरीक्षण तदनन्तर कुरसी स्तर जाँच प्रमाणपत्र जारी करना।</p> <p>vi) अपेक्षित शुल्क, ड्राइंगों और दस्तावेजों के साथ सामान्य अधिभोग और कार्य समापन अनुरोध फॉर्म (सी.ओ.सी.सी.आर.एफ.) में अधिभोग और कार्य समापन प्रमाणपत्र (ओ.सी.सी.) जारी करने के लिए आवेदन प्रस्तुत करना।</p> <p>vii) सभी सम्बद्ध विभागों द्वारा निरीक्षण।</p> <p>viii) संयोजित शुल्क और प्रभारों, यदि लागू हो, की सूचना और अधिभोग और कार्य समापन प्रमाण-पत्र एवं समापन प्लान जारी करना।</p>	<p>i) बिल्डिंग परमिट शुल्क, ड्राइंगों और दस्तावेजों के साथ सामान्य आवेदन पत्र (सी.ए.एफ.) में भवन निर्माण नक्शे की संस्वीकृति के लिए आवेदन-पत्र और अनापत्ति प्रमाण-पत्र आवेदन प्रस्तुत करना।</p> <p>ii) निर्धारित अवधि के अंदर संस्वीकृति प्रदान करना। यथा लागू अपेक्षित शुल्क और प्रभारों का भुगतान और संस्वीकृत भवन नक्शे जारी करना।</p> <p>iii) कुरसी स्तर (प्लिथ लेवल) तक कार्य पूरा होने की सूचना।</p> <p>iv) कुरसी स्तर निरीक्षण और कुरसी स्तर जाँच प्रमाणपत्र ऑनलाइन जारी करना।</p> <p>v) अपेक्षित शुल्क, ड्राइंगों और दस्तावेजों के साथ सामान्य अधिभोग और कार्य समापन प्रमाण-पत्र अनुरोध फॉर्म (सी.ओ.सी.सी.आर.एफ.) में अधिभोग और कार्य समापन प्रमाणपत्र (ओ.सी.सी.) और अनापत्ति प्रमाण-पत्र (अग्नि, जल आदि) जारी करने के लिए आवेदन प्रस्तुत करना।</p> <p>vi) सभी सम्बद्ध विभागों द्वारा सिंगल ज्वाइंट स्थल निरीक्षण।</p> <p>vii) संयोजित शुल्क और प्रभारों, यदि लागू हो, की सूचना और अधिभोग और कार्य समापन प्रमाण-पत्र एवं समापन प्लान जारी करना।</p>
<p>7. 2.0.1 प्रक्रिया</p> <p>(घ) भवन निर्माण परमिट अपेक्षित नहीं:-</p> <p>i) विरासत भवनों, जिनके लिए विरासत संरक्षण समिति की अनुमति की आवश्यकता होती है, उनको छोड़कर, प्लस्तर करना/परत चढ़ाना और मामूली मरम्मत करना।</p> <p>xi) आवासीय प्लॉटिड विकास (कम ऊँचाई वाले) में विद्यमान भवनों में लिफ्ट लगाने के लिए। सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुँचाए बिना परिवर्तन/प्रति स्थापन/फिक्सचर का पुनःप्रबंध करना/पुनःस्थापन की अनुमति होगी।</p>	<p>2.0.1 प्रक्रिया</p> <p>(घ) भवन निर्माण परमिट अपेक्षित नहीं:-</p> <p>i) प्लस्तर करना/परत चढ़ाना और मामूली मरम्मत करना।</p> <p>xi) आवासीय प्लॉटिड विकास (कम ऊँचाई वाले) में विद्यमान भवनों में लिफ्ट लगाने के लिए। सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुँचाए बिना परिवर्तन/प्रति स्थापन/फिक्सचर अथवा उपकरणों अथवा एच.पी.ए.सी.-एम.ई.पी. सेवाएं, यू.जी.आर., एस.टी.पी./ई.टी.पी. का पुनःप्रबंध करना/पुनःस्थापन।</p>

8.	(xiv) अध्याय 12 के अनुसार, 3000 वर्ग मी. से अधिक के प्लॉट (आवासीय प्लॉटिड के अलावा) में सार्वजनिक शौचालय, सुरक्षा कक्ष, बैंक एटीएम के लिए अधिकतम 9.0 वर्ग मी. का क्षेत्रफल (सैट बैंक क्षेत्र में अनुमत बशर्ते कि यह अग्निशमन वाहनों के आवागमन को बाधित न करें)।	(xiv) अध्याय 12 के अनुसार, 3000 वर्ग मी. से अधिक के प्लॉट में बैंक एटीएम (केवल 9.0 वर्ग मीटर तक अधिकतम क्षेत्र), सार्वजनिक शौचालय, सुरक्षा कक्ष/गार्ड रूम के लिए सैट बैंक क्षेत्र में अनुमति दी जाती है बशर्ते कि यह अग्निशमन वाहनों के आवागमन को बाधित न करें)।
9.		*नोट: विरासत भवनों के लिए अनुलग्नक -II देखें।
10.	2.1.1 नक्शे एवं ड्राइंगें (ख) ले आउट नक्शा: एक हैक्टेयर और उससे अधिक क्षेत्रफल वाले प्लॉट के लिए संस्वीकृति प्रदाता प्राधिकरण अथवा विकासकर्ता (डेवलपर) द्वारा तैयार ले-आउट नक्शा/संशोधित ले-आउट नक्शा प्रस्तुत किया जाएगा। विकासकर्ता द्वारा भवन उपविधि 2.0.4 में विनिर्दिष्ट विवरण के अनुसार ले-आउट नक्शा तैयार किया जाएगा और इसे हस्ताक्षरित किया जाएगा।	2.1.1 नक्शे एवं ड्राइंगें (ख) ले आउट नक्शा: एक हैक्टेयर और उससे अधिक क्षेत्रफल वाले प्लॉट के लिए वास्तुकार/विकासकर्ता/आवेदक द्वारा तैयार ले-आउट नक्शा/संशोधित ले-आउट नक्शा प्रस्तुत किया जाएगा। यदि भवन नक्शों को संस्वीकृति प्रदान करने वाला प्राधिकारी ले-आउट प्लान को अनुमोदित करने वाले प्राधिकारी से भिन्न हो, तो सक्षम प्राधिकारी द्वारा विधिवत् रूप से अनुमोदित ले-आउट नक्शे को भवन निर्माण नक्शे के आवेदन के साथ वास्तुकार/विकासकर्ता/ आवेदक द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा। वास्तुकार/ विकासकर्ता/ आवेदक द्वारा प्रस्तुत ले-आउट प्लान उपविधि 2.0.4 में विनिर्दिष्ट विवरण के अनुसार तैयार और हस्ताक्षरित किया जाएगा। (च) वास्तुकार भवन नक्शे के आवेदन को जमा करते समय स्थल की जाँच करेगा और सुनिश्चित करेगा कि जमा किया गया भवन नक्शा मौजूदा निर्माण, यदि कोई हो, के साथ मौजूदा स्थल की शर्तों के अनुसार है।
11.	2.3.3 बाह्य एजेंसियों से अनुमोदन/अनापत्ति प्रमाण-पत्र	2.3.3 बाह्य एजेंसियों से अनुमोदन/अनापत्ति प्रमाण-पत्र नोट: पर्यावरणीय स्थितियों की अनुप्रयोज्यता के लिए देखें 3.2
12.		2.5.1.1 संस्वीकृति के समय निरीक्षण: प्रथम निरीक्षण संस्वीकृति प्रदाता प्राधिकारी द्वारा प्लिथ स्तर के लिए उप-खंड 2.5.2 और ओ.सी.सी. के लिए अंतिम निरीक्षण उपखंड 2.7.5 के अनुसार किया जाएगा। प्लिथ स्तर से ओ.सी.सी. तक निर्माण/अंतर की जिम्मेदारी सक्षमता के अनुसार वास्तुकार/ अभियंता/पर्यवेक्षक/ संरचना अभियंता की और स्वामी की होगी। (दिनांक 22.03.2016 को अधिसूचित यू.बी.बी.एल 2016 में, सभी प्रकार के भवनों के भवन नक्शों की संस्वीकृति के लिए संस्वीकृति प्रदाता प्राधिकारी के निरीक्षण को समाप्त किया जा चुका है)।
	अध्याय 7 भवन निर्माण की सामान्य अपेक्षाएं	अध्याय 7 भवन निर्माण की सामान्य अपेक्षाएं
13.	तालिका 7.1 टिप्पणियां 1. ऊपर तालिका में उल्लिखित भवन के सभी प्रकार के घटकों की निर्मित तल स्तर से छत की निचली सतह तक अनुमेय अधिकतम	तालिका 7.1 टिप्पणियां 1. भवन के सभी प्रकार के घटकों की निर्मित तल स्तर से छत की निचली सतह तक अनुमेय अधिकतम ऊँचाई 48 मीटर है। तथापि, यदि वास्तुकार/अभियंता उस

	<p>ऊँचाई 48 मीटर है। तथापि, यदि वास्तुकार/अभियंता उस परियोजना में भवन के किसी घटक की ऊँचाई 4.8 मीटर से अधिक रखना चाहता है तो भवन/संरचना की अनुमेय कुल ऊँचाई तक की शर्त के अधीन इसकी अनुमति दी जा सकती है।</p>	<p>परियोजना में भवन के किसी घटक की ऊँचाई 4.8 मीटर से अधिक रखना चाहता है तो भवन/संरचना की अनुमेय कुल ऊँचाई तक की शर्त के अधीन एफ.ए.आर. में दो बार गिनती किए बिना दोगुनी ऊँचाई को अनुमति दी जा सकती है।</p>
14.	<p>7.2.4.2 कैनोपी</p> <p>एक मंजिला आवासीय भवनों में प्रत्येक अलग अलग ब्लॉकों के लिए इस प्रकार की कैनोपी की अनुमति होगी। एक से अधिक मंजिल वाले आवासीय भवनों के भूतल/ऊपरी तल के प्रवेश द्वार पर दो कैनोपी की अनुमति होगी।</p>	<p>7.2.4.2 कैनोपी</p> <p>एक मंजिला आवासीय भवनों में प्रत्येक अलग अलग ब्लॉकों के लिए इस प्रकार की कैनोपी की अनुमति होगी। एक से अधिक मंजिल वाले आवासीय भवनों के भूतल के प्रवेश द्वार पर भूतल से 3 मीटर की अधिकतम ऊँचाई के साथ कैनोपी की अनुमति होगी।</p>
15.	<p><i>टिप्पणी: संबंधित सैटबैक का न्यूनतम 30% क्षेत्र खुला रखा जाएगा।</i></p>	<p>(हटाया गया)</p>
16.	<p>7.11.2 रास्ते/गलियारों के लिए न्यूनतम चौड़ाई हेतु प्रावधान</p> <p>i). निर्धारित/अनुमेय सीमा से अधिक निर्मित पैसेज वे/कोरिडोर का अतिरिक्त क्षेत्रफल एफ.ए.आर. में नहीं गिना जाएगा, बल्कि यह तल कवरेज में गिना जाएगा। (7.17.2 न-देखें)</p>	<p>7.11.2 रास्ते/गलियारों के लिए न्यूनतम चौड़ाई हेतु प्रावधान</p> <p>i). निर्धारित/अनुमेय सीमा से अधिक निर्मित पैसेज वे/कोरिडोर का अतिरिक्त क्षेत्रफल एफ.ए.आर. में नहीं गिना जाएगा, बल्कि यह तल कवरेज में गिना जाएगा। (7.17.2 न-देखें) अतिरिक्त क्षेत्र की चौड़ाई निर्धारित / अनुमेय सीमा से दोगुनी से अधिक नहीं होनी चाहिए।</p>
17.	<p>7.17.1 खुले स्थल/कवर्ड क्षेत्र में छज्जे (प्रोजेक्शन) के लिए छूट</p> <p>खुले स्थलों में प्रोजेक्शन: प्रत्येक आंतरिक खुले स्थल, पर किसी भी प्रकार का निर्माण नहीं होगा तथा आकाश की ओर खुला होगा। उक्त खुले स्थल के ऊपर कारनिस, छज्जे अथवा मौसम से बचाव के लिए शेड (0.75 मीटर से अधिक चौड़ाई नहीं) के अलावा, कुछ भी बाहर निकला हुआ अथवा प्रक्षेपित नहीं होना चाहिए ताकि चौड़ाई को न्यूनतम अपेक्षित से कम किया जा सके।</p> <p>ख. परगोला यदि प्लॉट के अंदर अथवा टैरस पर बाहरी खुले स्थल में निर्मित हो, तो इसकी अनुमति होगी। ऐसा परगोला तल कवरेज से 20 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा। परगोला की 40 प्रतिशत खाली</p>	<p>7.17.1 खुले स्थल/कवर्ड क्षेत्र में छज्जे (प्रोजेक्शन) के लिए छूट</p> <p>खुले स्थलों में प्रोजेक्शन: प्रत्येक आंतरिक खुले स्थल, पर किसी भी प्रकार का निर्माण नहीं होगा तथा आकाश की ओर खुला होगा। उक्त खुले स्थल के ऊपर कारनिस, छज्जे अथवा मौसम से बचाव के लिए शेड (0.75 मीटर से अधिक चौड़ाई नहीं) के अलावा, कुछ भी बाहर निकला हुआ अथवा प्रक्षेपित नहीं होना चाहिए ताकि चौड़ाई को न्यूनतम अपेक्षित से कम किया जा सके। जलवायु/मौसमी प्रभाव को रोकने के लिए खुले आंतरिक क्षेत्र को टैरस स्तर अथवा न्यूनतम दोगुनी ऊँचाई पर रिट्रैकेबल रूफिंग करने की अनुमति होगी और इसके नीचे के स्थान को भू-दृश्यांकन क्षेत्र, सार्वजनिक स्थल के रूप में उपयोग किया जा सकता है किंतु किसी व्यावसायिक प्रयोजन हेतु उपयोग नहीं किया जा सकता है।</p> <p>खुले स्थल/कवर्ड क्षेत्र में छज्जे(प्रोजेक्शन) के लिए छूट</p> <p>ख. परगोला यदि प्लॉट के अंदर अथवा टैरस पर बाहरी खुले स्थल में निर्मित हो, तो इसकी अनुमति होगी। ऐसा परगोला तल कवरेज से 30 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा। परगोला की 40 प्रतिशत खाली स्थल के साथ ऐसे परगोला</p>

	<p>स्थल के साथ ऐसे परगोला की न्यूनतम स्पष्ट ऊँचाई 2.2 मीटर होगी।</p>	<p>की न्यूनतम स्पष्ट ऊँचाई 2.2 मीटर होगी। ट्रेस पर, परगोला की अधिकतम ऊँचाई ममटी की ऊँचाई से अधिक नहीं होनी चाहिए।</p>
18.	<p>7.17.2</p> <p>अग्निशमन सुरक्षा अनापत्तियों और अन्य अनिवार्य अनापत्तियों की शर्त के अधीन निम्नलिखित को एफ.ए.आर. और ग्राउंड कवरेज की गणना में शामिल नहीं किया जाएगा:-</p> <p>ख. रॉकरी लिफ्ट/लिफ्ट वैल, एस्कलैटर/ ट्रेवलेटर वैल तथा वैल संरचना, पौध नर्सरी, जलकुंड तरणताल किसी स्तर पर तरणताल (यदि ढका न हो) पेड़ के आस-पास का प्लेटफार्म, टैंक, फव्वारा, बैंच, खुली छत वाला तथा/अथवा दीवारों के साथ नहीं लगता चबूतरा, खुले रैंप, जुड़ी हुई दीवार, गेट, स्लाइड, स्विंग दरवाजा आग लगने की स्थिति में उपयोग आने वाली सीढियाँ अग्नि टॉवर, रिफ्यूज क्षेत्र, अग्नि नियंत्रण कक्ष, भवन/खुलेशाफ्ट के ऊपर ओवरहेड वाटर टैंक, अग्नि मानकों/के अनुसार कूलिंग टॉवर। दमकल की आवाजाही निर्बाध होगी।</p> <p>ड. संपत्ति की सीमा के अंदर प्रत्येक प्रवेश और निकास द्वार पर पहरा एवं निगरानी कक्ष, जिनका कुल क्षेत्रफल 4.5 वर्ग मी. तथा 6 वर्ग मीटर से अधिक न हो। न्यूनतम 200 वर्ग मीटर तथा अधिक आकार के आवासीय प्लॉटों में प्लॉट की सीमा के अंदर गार्ड कक्ष के लिए पोर्टा केबिनों की अनुमति है।</p> <p>ज. भू-दृश्य क्षेत्र वाले गगनचुंबी भवनों में राहत के रूप में कवर्ड स्काई ब्रिजिज अथवा इंटरमिटेट तल, गगनचुंबी भवनों में सेवा तल, जॉगिंग ट्रैक्स, स्वीमिंग पूल तथा अन्य सार्वजनिक स्थल चाहे इन भवनों की कितनी भी ऊँचाई हो, उस पर ध्यान दिए बिना इनको एफ.ए.आर. में नहीं गिना जाएगा तथा ग्राउंड कवरेज में भी नहीं गिना जाएगा।</p> <p>झ. भूतल अथवा छत सहित किसी अन्य तल पर संस्वीकृति प्रदाता प्राधिकरण, दिल्ली नगर कला आयोग और दिल्ली अग्निशमन सेवा द्वारा यथा अनुमोदित वास्तुकलात्मक विशिष्टताएं जैसे:- तरणताल, ट्रेस गार्डन।</p> <p>ञ. वास्तुकलात्मक वस्तुएँ जैसे लोवर्स 900 मि.मी तक बाहर की तरफ निकली हुई एण्ड वॉल, परगोला, अन्य सनशेड वस्तु को (इस उपविधि का खंड 7.1 देखें) एफ.ए.आर. तथा तल कवरेज में नहीं गिना जाएगा।</p>	<p>7.17.2</p> <p>अग्निशमन सुरक्षा अनापत्तियों और अन्य अनिवार्य अनापत्तियों की शर्त के अधीन निम्नलिखित को एफ.ए.आर. और ग्राउंड कवरेज की गणना में शामिल नहीं किया जाएगा:-</p> <p>ख. रॉकरी लिफ्ट/लिफ्ट वैल, एस्कलैटर/ ट्रेवलेटर वैल तथा वैल संरचना, पौध नर्सरी, जलकुंड तरणताल किसी स्तर पर तरणताल (यदि ढका न हो) पेड़ के आस-पास का प्लेटफार्म, टैंक, फव्वारा, बैंच, खुली छत वाला तथा/अथवा दीवारों के साथ नहीं लगता चबूतरा, खुले रैंप, जुड़ी हुई दीवार, गेट, स्लाइड, स्विंग दरवाजा आग लगने की स्थिति में उपयोग आने वाली सीढियाँ अग्नि टॉवर, रिफ्यूज क्षेत्र, अग्नि नियंत्रण कक्ष, भवन/खुलेशाफ्ट के ऊपर ओवरहेड वाटर टैंक, यू.जी.आर., एस.टी.पी., ई.टी.पी., अग्नि मानकों/के अनुसार कूलिंग टॉवर अथवा कोई अन्य सेवा संरचना। दमकल की आवाजाही निर्बाध होगी।</p> <p>ड. संपत्ति की सीमा के अंदर प्रत्येक प्रवेश और निकास द्वार पर पहरा एवं निगरानी कक्ष, जिनका कुल क्षेत्रफल 4.5 वर्ग मी. तथा 6 वर्ग मीटर से अधिक न हो। न्यूनतम 200 वर्ग मीटर तथा अधिक आकार के आवासीय प्लॉटों में प्लॉट की सीमा के अंदर गार्ड कक्ष के लिए मूवेबल पोर्टा केबिनों (अधिकतम आकार 2 वर्ग मीटर) की अनुमति है।</p> <p>ज. स्काई ब्रिजिज/स्काई वॉक्स (कवर्ड अथवा अनकवर्ड) भू-दृश्य क्षेत्र वाले गगनचुंबी भवनों में राहत के रूप में कवर्ड स्काई ब्रिजिज अथवा इंटरमिटेट तल, गगनचुंबी भवनों में सेवा तल, जॉगिंग ट्रैक्स, स्वीमिंग पूल तथा अन्य सार्वजनिक स्थल चाहे इन भवनों की कितनी भी ऊँचाई हो, उस पर ध्यान दिए बिना इनको एफ.ए.आर. में नहीं गिना जाएगा तथा ग्राउंड कवरेज में भी नहीं गिना जाएगा।</p> <p>झ. भूतल अथवा छत सहित किसी अन्य तल पर संस्वीकृति प्रदाता प्राधिकरण, दिल्ली नगर कला आयोग और दिल्ली अग्निशमन सेवा द्वारा यथा अनुमोदित वास्तुकलात्मक और भू-दृश्य विशिष्टताएं जैसे:- तरणताल, ट्रेस गार्डन अथवा कोई अन्य विशेषताएं।</p> <p>ञ. वास्तुकलात्मक वस्तुएँ जैसे लोवर्स 900 मि.मी तक बाहर की तरफ निकली हुई एण्ड वॉल, परगोला, प्रत्येक तरफ 150 मि.मी. तक क्लैडिंग्स, अन्य सनशेड वस्तु को (इस उपविधि का खंड 7.1 देखें) एफ.ए.आर. तथा तल कवरेज में नहीं गिना जाएगा।</p>

	<p>ण. ई.एस.एस./एचटी/एलटी पैनल वाले मीटर कक्ष, डी जी कक्ष, वातानुकूलन संयंत्र कक्ष, सी.सी.टी.वी. /नियंत्रण कक्ष, अग्निशमन नियंत्रण कक्ष तथा ऐसी ही समान सेवाओं की डी.एफ.एस. के अनुमोदन की शर्त पर सैटबैक में अनुमति होगी और ये एफ.ए.आर. में एवं तल कवरेज में नहीं गिने जाएंगे।</p> <p>त. सौलर पैनल टैरेस स्तर से अधिकतम 2 मीटर की स्पष्ट ऊँचाई से लेकर स्प्रिंगिंग प्वाइंट तक तथा ए.ए.आई. द्वारा अनुमत अधिकतम ऊँचाई की शर्त के अधीन होंगे।</p>	<p>ण. ई.एस.एस./एचटी/एलटी पैनल वाले मीटर कक्ष, डी जी कक्ष, वातानुकूलन संयंत्र कक्ष, सी.सी.टी.वी./नियंत्रण कक्ष, अग्निशमन नियंत्रण कक्ष, यू.जी.आर., एस.टी.पी./ई.टी.पी. तथा ऐसी ही समान सेवाओं की डी.एफ.एस. के अनुमोदन की शर्त पर सैटबैक में अनुमति होगी और ये एफ.ए.आर. में एवं तल कवरेज में नहीं गिने जाएंगे।</p> <p>त. सौलर पैनल ए.ए.आई. द्वारा अनुमत अधिकतम ऊँचाई/डी.एफ.एस. द्वारा प्रदत्त अनापत्तियों की शर्त के अधीन किसी भी ऊँचाई अथवा स्तर (भूतल सहित)/टैरेस/रूफ टॉप पर होंगे।</p> <p>प. जलवायु/मौसमी प्रभाव को रोकने के लिए खुले आंतरिक क्षेत्र को टैरेस स्तर पर अथवा न्यूनतम दोगुनी ऊँचाई पर रिट्रेक्टेबल रूफिंग से कवर करने की अनुमति होगी और इसके नीचे के स्थान को भू-दृश्यांकन क्षेत्र, सार्वजनिक स्थल के रूप में उपयोग किया जा सकता है, किंतु किसी व्यावसायिक प्रयोजन हेतु उपयोग नहीं किया जा सकता है।</p>
19.	<p>7.19 ऊँचाई में छूट</p> <p>vi. टैरेस पर 7.17.2 (त) के अनुसार सौलर पैनल लगाए जाएँगे।</p>	<p>7.19 ऊँचाई में छूट (ए.ए.आई. की अनुमत ऊँचाई के अंदर)</p> <p>vi. 7.17.2 (त) के अनुसार किसी भी ऊँचाई अथवा स्तर (भू स्तर सहित)/टैरेस/रूफ टॉप पर सौलर पैनल लगाए जाएँगे। (जोड़ा गया)</p> <p>vii. रूफ टॉप/टैरेस पर पहुंच के लिए मशीन रूम सहित कार लिफ्ट/पैसेंजर लिफ्ट की ऊँचाई।</p> <p>viii. टैरेस पर शौचालय। (7.2.2. च देखें)</p> <p>ix. ममटी की ऊँचाई तक परगोला, सबसे ऊपरी तल के टैरेस से अधिकतम 3 मीटर ऊपर।</p>
20.	<p>7.22 मुंडेर</p> <p>24 मीटर और अधिक ऊँचाई वाले भवनों हेतु मुंडेर की दीवार/रेलिंग अग्निशमन विभाग के अनुमोदन की शर्त पर 1.8 मीटर होगी।</p>	<p>7.22 मुंडेर</p> <p>24 मीटर और अधिक ऊँचाई वाले भवनों हेतु टैरेस/छत के स्तर पर मुंडेर की दीवार/रेलिंग अग्निशमन विभाग के अनुमोदन की शर्त पर 1.5 मीटर ऊँचाई होगी।</p>
21.	<p>7.24</p> <p>अन्य भवनों जो दिल्ली मुख्य योजना और भवन निर्माण उप विधि के अंतर्गत नहीं आते हैं, के लिए विशेष प्रावधान:</p> <p>अस्पतालों, होटलों एवं बैंक्वेट हॉलों, स्टेडियमों, जेलों, न्यायालय परिसरों, कला दीर्घाओं, संग्रहालयों फिलिंग स्टेशनों, बस टर्मिनलों/डिपो, बहु मंजिला पार्किंग, खेल परिसरों और किसी अन्य के लिए निम्नलिखित दस्तावेजों के प्रावधान लागू होंगे:</p>	<p>7.24</p> <p>अन्य संरचनाओं भवनों जो दिल्ली मुख्य योजना और भवन निर्माण उप विधि के अंतर्गत नहीं आते हैं, के लिए विशेष प्रावधान:</p> <p>अस्पतालों, होटलों एवं बैंक्वेट हॉलों, स्टेडियमों, जेलों, न्यायालय परिसरों, कला दीर्घाओं, संग्रहालयों फिलिंग स्टेशनों, बस टर्मिनलों/डिपो, बहु मंजिला पार्किंग, खेल परिसरों और किसी अन्य विशेष संरचनाओं भवनों के लिए निम्नलिखित दस्तावेजों के प्रावधान लागू होंगे:</p>

22.	7.28 लिफ्ट और एस्केलेटर्स नोट: ख. बेसमेंट सहित सभी तल लिफ्ट की पहुँच में होंगे। भवन में उपलब्ध कराई गई लिफ्टों को आपातकाल में बचाव के साधन के रूप में नहीं माना जाएगा।	7.28 लिफ्ट और एस्केलेटर्स नोट: ख. बेसमेंट और छत का ऊपरी भाग/छत सहित सभी तल लिफ्ट की पहुँच में होंगे। भवन में उपलब्ध कराई गई लिफ्टों को आपातकाल में बचाव के साधन के रूप में नहीं माना जाएगा।
अध्याय- 8 अत्यंत ऊँचे (हाई राइज) निर्माण हेतु प्रावधान		
23.	8.10 सामान्य विशेषताएँ-एफ.ए.आर. गणना से मुक्त ख. वास्तुकलात्मक घटक जैसे लूवर, 900 एम एम तक प्रोजेक्टेड एण्ड वाल, मण्डप, अन्य सन शेड घटक (देखें इस उपविधि का खंड 7.1) एफ.ए.आर. और ग्राउण्ड कवरेज से मुक्त होंगे। ट. कार लिफ्ट सहित बहुस्तरीय कार पार्किंग की अनुमति पर्याप्त अग्नि सुरक्षा के साथ दी जाएगी।	8.10 सामान्य विशेषताएँ-एफ.ए.आर. गणना से मुक्त (अग्नि सुरक्षा अनापत्ति और अन्य अनिवार्य अनापत्ति की शर्त पर) ख. वास्तुकलात्मक घटक जैसे लूवर, 900 एम एम तक प्रोजेक्टेड एण्ड वाल, मण्डप, प्रत्येक साइड में 150 एमएम तक क्लेडिंग, अन्य सन शेड घटक (देखें इस उपविधि का खंड 7.1) एफ.ए.आर. और ग्राउण्ड कवरेज से मुक्त होंगे। ट. कार लिफ्ट सहित बहुस्तरीय कार पार्किंग की अनुमति पर्याप्त अग्नि सुरक्षा के साथ दी जाएगी। (देखें 8.4.7 छ)
अध्याय 9 संरचनात्मक सुरक्षा, प्राकृतिक आपदा, अग्नि और भवन सेवाओं के लिए प्रावधान		
24.	9.3.8 फायर चैक फ्लोर/फायर कट ऑफ फ्लोर क. 70 मीटर से अधिक के अत्यंत ऊँचाई वाले भवन में आवासीय तल स्तर से ठीक 70 मीटर ऊपर और प्रत्येक 25 मीटर के ठीक बाद अथवा 8वें तल, जो भी कम हो, पर फायर चैक फ्लोर (संपूर्ण तल) की व्यवस्था की जाएगी।	9.3.8 फायर चैक फ्लोर/फायर कट ऑफ फ्लोर क. 70 मीटर से अधिक के अत्यंत ऊँचाई वाले भवन में आवासीय तल स्तर से ठीक 70 मीटर ऊपर और प्रत्येक 60 मीटर के बाद फायर चैक फ्लोर (संपूर्ण तल) की व्यवस्था की जाएगी।
25.	9.4.7 शिशु देखभाल कक्ष (चाइल्ड केयर रूम) शिशु देखभाल कक्ष से आशय सभी सार्वजनिक भवनों और निजी प्रतिष्ठानों में माँ और शिशु/बच्चों को सहूलियत देने को ध्यान में रखते हुए शिशु/बच्चों आदि के लिए शिशु देखभाल, स्तनपान, चैजिंग रूम के उद्देश्य से उपयोग किये जाने वाले कक्ष से है। क) शिशु देखभाल कक्ष सभी सार्वजनिक/निजी भवनों में भूतल पर सुविधाजनक स्थान पर उपलब्ध करवाएँ जाएंगे, जहाँ दिव्यांगजनों सहित सभी व्यक्ति आसानी से पहुँच सकें। ख) शिशु देखभाल कक्ष की व्यवस्था तल पर कहीं भी की जा सकती है, जो विशेषतः सार्वजनिक शौचालय से दूर हो, लेकिन उपयुक्त रूप से कैटिन/फूड स्टॉल/पेंट्री/कॉमन क्षेत्र के पास अवस्थित हों। पर्याप्त दृश्यता के साथ इसमें उपयुक्त एकांतता होनी चाहिए और यह एक सुरक्षित स्थान पर होना चाहिए।	

		<p>ग) शिशु देखभाल कक्ष एफ.ए.आर. गणना से मुक्त होगा।</p> <p>घ) शिशु देखभाल कक्ष का न्यूनतम परिमाण रहने योग्य कमरे के अनुसार होगा, जैसा एकीकृत भवन-निर्माण उपविधि, 2016 की तालिका 7.1 में दिया गया है।</p> <p>क्षेत्रफल 9.5 वर्ग मीटर</p> <p>चौड़ाई 2.4 मीटर</p> <p>ऊँचाई 2.75 मीटर</p> <p>ङ) शिशु देखभाल कक्ष में निम्नलिखित सभी विशेषताएं होनी चाहिए:-</p> <ol style="list-style-type: none"> i) पर्याप्त संख्या में नर्सिंग चेयर और काउंटर के साथ स्तनपान केबिन (फिडिंग केबिन) ii) एक नर्सिंग काउंटर, जिसमें सिंक, शीशा, सॉप डिस्पेंसर और डिस्पोजल बिन हो। iii) रजाई के साथ बच्चों को पालना। iv) इसमें पर्याप्त हवादारी होनी चाहिए। v) यह दिव्यांगजनों द्वारा पहुँच योग्य होना चाहिए। vi) शिशु देखभाल कक्ष के स्तनपान कक्ष में प्रवेश द्वार पर दरवाजे सहित परदे अथवा अन्य कोई उपायों के साथ पर्याप्त एकांतता होनी चाहिए। vii) शिशु देखभाल कक्ष के अंदर नुकीले किनारे और सख्त कॉर्नर न होने का ध्यान रखा जाएगा। viii) नॉन स्लिप फ्लोर सरफेस और आसानी से साफ हो जाने वाली साज-सज्जा आदि को प्राथमिकता दी जाएगी। ix) आपात स्थिति में लाइट के बटन के साथ एक आपातकालीन अलार्म घंटी/बटन दिया जाना चाहिए। x) शिशु देखभाल कक्ष का स्थान आसान पहुँच हेतु साइनेज और स्थल नक्शों में दिया जाएगा।
	<p>अध्याय 10</p> <p>हरित भवन (ग्रीन बिल्डिंग्स) हेतु प्रावधान</p>	
26.		<p>10.5 इलैक्ट्रिक वाहन चार्जिंग आधारभूत संरचना (ई.वी.सी.आई.)</p> <p>विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार ने दिनांक 14.12.2018 को इलैक्ट्रिक वाहन हेतु चार्जिंग आधारीक संरचना के लिए दिशा-निर्देश और मानक जारी किए तथा दिनांक 01.10.2019 को दिशा-निर्देश संशोधित किए। ये दिशा-निर्देश और मानक समय-समय पर संशोधन की शर्त के अधीन हैं तथा केंद्र सरकार के संशोधित पाठ को संदर्भित किया जाएगा।</p>

		<p>विभिन्न प्रकार के भवनों के परिसरों में अधिभोग पद्धति और समग्र पार्किंग प्रावधानों के आधार पर चार्जिंग आधारिक संरचना की व्यवस्था केवल इलैक्ट्रिक वाहनों (ई.वी.सी.) के लिए की जाएगी, जो परिसर पर समग्र “वाहन धारण क्षमता/पार्किंग क्षमता” का वर्तमान में 20% माना जाएगा।</p> <p>इसके अतिरिक्त, बिल्डिंग परिसर के पास अतिरिक्त पॉवर लोड होगा जो सभी चार्जिंग पोइंट {पब्लिक चार्जिंग स्टेशन(पी.सी.एस.)} के लिए अपेक्षित बिजली के बराबर होगा जिसे 1.25 सुरक्षा कारक सहित एक साथ किया जाएगा (संदर्भ 6 इलैक्ट्रिक वाहन चार्जिंग आधारिक संरचना संबंधी विवरणात्मक नोट-अनुलग्नक X)</p> <p>10.5.1 आवासीय भवन (प्लॉटिड आवास)</p> <p>तालिका 10.2: व्यक्तिगत आवास/स्वयं के उपयोग के लिए चार्जिंग आधारिक संरचना आवश्यकताएं</p> <table border="1" data-bbox="858 779 1445 1335"> <tr> <td>भवन का प्रकार</td> <td>प्लॉटिड आवास</td> </tr> <tr> <td>स्टेशन का स्वामित्व</td> <td>निजी (स्वामी)</td> </tr> <tr> <td>कनेक्शन और मीटरिंग</td> <td>घरेलू मीटर</td> </tr> <tr> <td>चार्जर का प्रकार</td> <td>स्वामी की विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुसार स्लो चार्जर</td> </tr> <tr> <td>चार्जिंग की पद्धति</td> <td>ए.सी. (सिंगल चार्जिंग गन)</td> </tr> <tr> <td>प्रावधानों के मानदंड</td> <td>व्यक्तिगत स्वामी के अनुसार न्यूनतम 1 एस.सी. और अतिरिक्त प्रावधान</td> </tr> </table> <p>नोट:</p> <ul style="list-style-type: none"> • गृह स्वामी द्वारा लगाए गई चार्जिंग आधारिक संरचना का आशय अनुलग्नक X परिशिष्ट –II पर व्याख्यात्मक नोट के खंड संख्या घ के अनुसार स्वयं के उपयोग (नॉन कमर्शियल आधार) के लिए निजी चार्जिंग आधारिक संरचना के रूप में लिया जाएगा। 	भवन का प्रकार	प्लॉटिड आवास	स्टेशन का स्वामित्व	निजी (स्वामी)	कनेक्शन और मीटरिंग	घरेलू मीटर	चार्जर का प्रकार	स्वामी की विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुसार स्लो चार्जर	चार्जिंग की पद्धति	ए.सी. (सिंगल चार्जिंग गन)	प्रावधानों के मानदंड	व्यक्तिगत स्वामी के अनुसार न्यूनतम 1 एस.सी. और अतिरिक्त प्रावधान
भवन का प्रकार	प्लॉटिड आवास													
स्टेशन का स्वामित्व	निजी (स्वामी)													
कनेक्शन और मीटरिंग	घरेलू मीटर													
चार्जर का प्रकार	स्वामी की विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुसार स्लो चार्जर													
चार्जिंग की पद्धति	ए.सी. (सिंगल चार्जिंग गन)													
प्रावधानों के मानदंड	व्यक्तिगत स्वामी के अनुसार न्यूनतम 1 एस.सी. और अतिरिक्त प्रावधान													
		<p style="text-align: center;">परिशिष्ट-II</p> <p>10.5.2 सभी अन्य भवन (समूह आवास सहित)</p> <p>सार्वजनिक/निजी क्षेत्रों अथवा किसी भी प्रकार की श्रेणी के भवन परिसरों में स्थापित किए गए सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन, जो विद्युत वाहन की व्यावसायिक प्रणाली की चार्जिंग को पूरा करते हों, को सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन के समान माना जाएगा और विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों एवं मानकों में यथा विनिर्दिष्ट न्यूनतम अपेक्षाओं के चार्जिंग को स्थापित करना होगा। यद्यपि, सभी वाहनों में विद्युत वाहन शेयर करने के लिए पर्याप्त चार्जिंग</p>												

		<p>प्लांट्स की व्यवस्था करने के लिए नीचे तालिका में चार्जर के प्रकारों का अनुपात अनुशंसित किया गया है- तालिका 10.3: सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन (व्यावसायिक उपयोग) के लिए चार्जिंग संरचना की आवश्यकताएं। तालिका के लिए परिशिष्ट I देखें। (अनुलग्नक ग 9) * विद्युत वाहन चार्जिंग संरचना पर व्याख्यात्मक टिप्पणी के लिए-देखें परिशिष्ट-II (अनुलग्नक ग 10)</p>
अध्याय 11		
दिव्यांगजनों, वृद्ध एवं बच्चों के लिए सार्वभौमिक (यूनिवर्सल) डिजाइन के लिए प्रावधान		
27.	<p>11.0 अनुप्रयोज्यता ये विनियम जनता द्वारा उपयोग में लाए जाने वाले सभी भवनों और सुविधाओं जैसे शैक्षिक, संस्थागत, सभा, व्यावसायिक, वाणिज्यिक, व्यापारिक भवन और ग्रुप हाउसिंग इत्यादि पर लागू होंगे। ये निजी आवासों (आवासीय प्लॉटिड विकास) पर लागू होंगे।</p>	<p>11.0 अनुप्रयोज्यता ये विनियम जनता द्वारा उपयोग में लाए जाने वाले सभी भवनों और सुविधाओं जैसे शैक्षिक, संस्थागत, सभा, व्यावसायिक, वाणिज्यिक, व्यापारिक भवन इत्यादि पर लागू होंगे। ये निजी आवासों (आवासीय प्लॉटिड विकास) पर लागू नहीं होंगे। आवासीय समूह आवास के लिए ये ग्राउंड लेवल/स्टिल्ट में कॉमन क्षेत्रों पर लागू होंगे।</p>
28.	<p>11.8 शौचालय और सेनिटरी रूम सुलभ शौचालयों की व्यवस्था पूर्व स्थित शौचालय ब्लॉक के जितना संभव हो, नजदीक की जाएगी, जहां आसानी से पहुँचा जा सके।</p>	<p>11.8 शौचालय और सेनिटरी रूम सुलभ शौचालयों की व्यवस्था पूर्व स्थित शौचालय ब्लॉक/प्रवेश द्वार/स्वागत कक्ष/प्रतीक्षा क्षेत्र/कॉमन क्षेत्र/स्टिल्ट इत्यादि के जितना संभव हो, नजदीक की जाएगी, जहां आसानी से पहुँचा जा सके।</p>
अध्याय 12		
"स्वच्छ दिल्ली"- सार्वजनिक शौचालय परिसरों के लिए प्रावधान		
29.	<p>12.2 सभी परिसर (सार्वजनिक शौचालय/शौचालय, ए.टी.एम., गार्ड रूम) मुख्यतः प्लॉट के भीतर सैटबैक क्षेत्र में निर्मित किए जाएँगे, बशर्ते वे अग्निशमन पथ में व्यवधान न डालते हों।</p>	<p>12.2 सभी परिसर (सार्वजनिक शौचालय/शौचालय, ए.टी.एम., गार्ड रूम) मुख्यतः प्लॉट के भीतर निर्मित किए जाएँगे, बशर्ते वे अग्निशमन पथ में व्यवधान न डालते हों। इन परिसरों के लिए दिव्यांग जनों, वृद्धजनों और बच्चों के लिए सार्वभौमिक (यूनिवर्सल) डिजाइनों के प्रावधानों का अनुपालन किया जाएगा।</p>
30.	<p>12.5 ऐसे परिसरों में, आम जनता के लिए उपयोग के लिए एक एटीएम (ऑटोमेटेड टेलर मशीन) कक्ष (गार्ड कक्ष सहित) अधिकतम 9.0 वर्गमीटर तल क्षेत्र सहित शामिल किया जाएगा।</p>	<p>12.5 ऐसे परिसरों में, आम जनता के लिए उपयोग के लिए ए.टी.एम (अधिकतम 9.0 वर्गमीटर क्षेत्र तक) सार्वजनिक शौचालय, सुरक्षा कक्ष/गार्ड रूम की सैटबैक क्षेत्र में अनुमति दी जाएगी, बशर्ते ये अग्नि वाहनों के आवागमन में बाधा न उत्पन्न करते हों। (देखें 2.0 घ, xiv)</p>
अनुलग्नक-III		
31.	<p>शुल्क और प्रभार ख. भवन परमिट शुल्क v. भवन परमिट के आवेदन के अस्वीकार किए जाने के मामले में, किसी भी प्रकार की धन वापसी नहीं की जाएगी।</p>	<p>शुल्क और प्रभार क. भवन परमिट शुल्क v. अस्वीकृत भवन योजना आवेदन/परमिट के पुनःप्रस्तुतीकरण के लिए अगले तीन अस्वीकृत आवेदनों तक शुल्क निर्मित क्षेत्र के प्रति वर्गमीटर पर 1/- रुपये की दर से वसूल किया जाएगा। भवन नक्शे के</p>

		आवेदन/परमिट के चौथी और पांचवीं बार अस्वीकृत किए जाने के मामले में भवन परिमित शुल्क मूल भवन परिमित शुल्क (उक्त i), जो उसी ऑनलाइन आईडी पर पहली बार परिकलित किया गया था, पर क्रमानुसार 25% और 50% की दर से वसूल किया जाएगा। भवन नक्शा आवेदन/परमिट छठी बार अस्वीकृत किए जाने के मामले में, आवेदक/वास्तुकार को 100% प्रोसेसिंग/परमिट शुल्क का भुगतान करना होगा और नये सिरे से नए ऑनलाइन आईडी से आवेदन करना होगा।
	अनुलग्नक-IV	
	मुख्य योजना/क्षेत्रीय योजना विनियम/उपविधि के प्रावधानों के उल्लंघन पर दांडिक कार्रवाई।	
32.	(ख) समाधेय मद (i). एक खुला मूत्रालय जिसकी दीवार 1.7 मीटर तक ऊंची है-कोई दंड नहीं। (ii). 1.70 मीटर ऊँचाई तक की दीवार के साथ खुले मूत्रालय के ऊपर पानी की टंकी-यदि संस्वीकृत है, तब कोई दंड नहीं। यदि संस्वीकृत नहीं है तब प्रत्येक पर 500/- रुपये।	(ख) समाधेय मद (i). बिना संस्वीकृति के छत पर निर्मित शौचालय (देखे 7.2.2 च) 500/- रुपये प्रति वर्ग मीटर। (हटा दिया गया।)
	अनुलग्नक- XIV	
33.	एक विंडो प्लान संस्वीकृति और समापन के लिए उच्चस्तरीय समिति का गठन।	(हटा दिया गया।) (हालांकि एकल विंडो ऑनलाइन भवन परिमित प्रणाली लागू है।)

परिशिष्ट-I				
तालिका 10.3 सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन (व्यावसायिक उपयोग) हेतु चार्जिंग आधारीक संरचना आवश्यकताएँ				
भवन का प्रकार	किसी भी प्रकार का भवन			
स्टेशन का स्वामित्व	सेवा प्रदाता			
कनेक्शन और मीटरिंग	व्यावसायिक मीटरिंग और भुगतान			
चार्जिंग का प्रकार	एम.ओ.पी. दिशानिर्देशों में विनिर्दिष्ट न्यूनतम आवश्यकताओं के अनुसार (अनुलग्नक IV देखें)			
अतिरिक्त चार्जर	पीसीएस सेवा प्रदाता निम्नानुसार चार्जिंग प्वाइंट के अनुपात को पूरा करने के लिए विनिर्दिष्ट न्यूनतम आवश्यकताओं से अलग अतिरिक्त कियोस्क/चार्जर(वाहनों के प्रकार के अनुसार) लगायेंगे।			
चार्जर प्वाइंट हेतु प्रोविजन्स के मानदण्ड	4 व्हीलर 1 एससी- प्रति 3 ईवीएस 1 एफसी- प्रति10 ईवीएस	3 व्हीलर 1 एससी-प्रति 2 ईवीएस	2 व्हीलर 1 एससी-प्रति 2 ईवीएस	पीवी (बसें) 1एफसी-प्रति10 ईवीएस

नोट:-

- चार्जिंग बेज में टू व्हीलर और पीवीएस (कारों) सहित सभी वाहनों की वर्तमान में 20% क्षमता लगाने की योजना है।
- सभी उपभोक्ताओं के लिए आपेन मीटरिंग और ऑन-स्पॉट भुगतान विकल्प उपलब्ध होगा।
- एफसीबी सीएस और बीएस का प्रोविजन बाध्यकारी नहीं होगा, और यह सेवा प्रदाता के विवेक पर होगा।

परिशिष्ट-II**6. इलैक्ट्रिक वाहन चार्जिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर संबंधी स्पष्टीकरण नोट****क. ईवीसीआई स्थापना हेतु मूलाधार**

मैकेनाइज्ड परिवहन प्रणाली को अपनाने तथा तेजी से बढ़ रहे शहरीकरण के परिणामस्वरूप ग्रीन हाऊस गैसें बढ़ी मात्रा में उत्सर्जित होती हैं, जिससे ग्लोबल वार्मिंग पर प्रभाव पड़ता है। आईपीसीसी ने विश्व को चेतावनी दी है कि जब तक कि विश्व सतह के तापमान में प्री-इण्डस्ट्रियल लेवल की तुलना में अधिकतम 2° सेंटीग्रेड तक प्रतिबंधित नहीं कर दिया जाता, विश्व अचल विनाशकारी जलवायु परिवर्तन का सामना करेगा।

भारत ने यूएनएफसीसीसी में हस्ताक्षरकर्ता होने के नाते, ऐन्थ्रोपोजिनी ओरिजन के ग्रीनहाऊस गैस एमिशन (जीएचजी) को ऑकने और सिंक द्वारा इसे हटाने के प्रयासों हेतु शपथ ली। भारत की प्रति व्यक्ति गैस उत्सर्जन अभी भी 1.9 टन (2013) की दर पर कम है, किन्तु कुल गैस उत्सर्जन के मामले में इसका नंबर चीन और यूएस के बाद आता है जो संभवतः 2019 तक ईयू के उत्सर्जन को पीछे छोड़ देगा।

जब भारतीय शहरों की तुलना उनके एमिशन स्कोर के आधार पर करते हैं, तो दिल्ली कुल एमिशन के समतुल्य 3838 मिलियन टन से अधिक के कार्बन डाई आक्साइड उत्सर्जक के रूप में सबसे ऊपर है, इसके बाद ग्रेटर मुम्बई 22.7 मिलियन टन, चेन्नई 22.1 मिलियन टन, कोलकाता 14.8 मिलियन टन, बैंगलोर 19.8 मिलियन टन, हैदराबाद 13.7 मिलियन टन और अहमदाबाद 9 मिलियन टन के साथ अन्य शहर हैं जिनके वर्षभर के एमिशन को सेक्टर-वार परिकलित किया गया था।

परिवहन विभाग (रा.रा.क्षे.दि.स.) के आंकड़ों के अनुसार, दिल्ली के कुल वाहनों की संख्या, मुम्बई, चेन्नई और कोलकाता में कुल वाहनों की संख्या से भी अधिक है। दिल्ली में प्रति 1000 जनसंख्या के पीछे 8 कार की राष्ट्रीय औसत की तुलना में प्रति 1000 जनसंख्या के पीछे 85 कारे हैं। मोटर वाहनों की वजह से कार्बन डाई आक्साइड उत्सर्जन के संबंध में, दिल्ली लगभग 12.4 मिलियन टन उत्सर्जित करती है, जबकि बैंगलूरू शहर लगभग 8.6 मिलियन टन उत्सर्जित करता है।

इसलिए “परिवहन” और “घरेलू” सेक्टर से एमिशन की मात्रा को कम करना “जलवायु परिवर्तन में कमी (मिटिगेशन)” जैसा कि यूएनएफसीसी से वचनबद्धता की गई है, के अति महत्वपूर्ण क्षेत्र के अंतर्गत उच्च प्राथमिकता का विषय बनकर उभरा है।

समुचित “चार्जिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर” के साथ छोटी और लम्बी दूरी की यात्राओं के संबंध में चरणबद्ध परिवहन के लिए “विद्युत वाहनों(इलैक्ट्रिक व्हीकलस)” को प्रोत्साहित करना एक सुकर विकल्प है और इसलिए यह बाद में इस चरणबद्ध परिवहन को स्थायी परिवहन में परिवर्तित करने/स्थानान्तरण करने के लिए पूर्व शर्त है।

इसके लिए, स्थानीय परिस्थितियों के उपयुक्त देश भर में इसे अपनाने के लिए उक्त मुख्य योजना विनियमों और राज्य उपविधियों में “चार्जिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर” हेतु मानदंडों और मानकों के निरूपण को शामिल करने के लिए इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रावधानों (क्षेत्रीय और नगर स्तर पर) और विकास नियंत्रण विनियमों (तत्संबंधी प्रावधानों के संबंध में) परिवर्तन करने होंगे।

ख. ईवी चार्जिंग टेक्नोलॉजी**ख.1 इलैक्ट्रिक व्हीकल सप्लाय उपकरण (ईवीएसई)**

एक ईवीएसई, दीवार पर लगाने वाला उपकरण है जो इलैक्ट्रिक वाहनों की बैटरी को रिचार्ज करने के लिए इलैक्ट्रिक ऊर्जा सप्लाय करता है। ईवीएसई में एक सेफ्टी लॉक-आउट फीचर भी है जो तब तक करंट को डिवाइस से फ्लो नहीं होने देता जब तक प्लग को कार में ना लगा दिया जाए।

ईवीएसई को निम्नलिखित विशेषताओं के साथ कस्टमाईज्ड किया जा सकता है।

- आथेन्टिकेशन
- इन्टीग्रिटीड पेमेंट गेटवे
- रिमोट मॉनीटरिंग के लिए सॉफ्टवेयर

जैसा कि इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग तकनीक उन्नति की ओर अग्रसर है, अतः कुछ मानकों एवं दिशा-निर्देशों को पूरी इंडस्ट्री में स्वीकार किया जाना है। इस भाग में चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर तकनीक, मानक एवं शब्दावली का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत किया गया है।

ख.1 ई.वी.सी.ई के विभिन्न प्रकार:

चार्जिंग स्पीड- चार्जिंग पावर, जो किसी वाहन को चार्ज करने के अपेक्षित समय का निर्धारण करता है, चार्ज प्वाइंट में मैग्निट्यूड के क्रम के अनुसार भिन्न-भिन्न हो सकता है, जैसा कि तालिका 1 में दर्शाया गया है। एक छोटा घरेलू आउटलेट 1.2 कि. वाट की धीमी गति से चार्ज कर सकता है, जबकि अधिक उन्नत तीव्र गति चार्जिंग स्टेशन 350 कि.वा. तक चार्ज कर सकते हैं। चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को मौटे तौर पर गति के आधार पर तीन श्रेणियों में विभाजित किया जाता है: स्तर 1, स्तर 2 तथा डायरेक्ट करंट (डीसी) फास्ट चार्जिंग (कभी-कभी) इसे स्तर 3 कहा जाता है।

प्राइवेट चार्जिंग

घरेलू चार्जिंग प्वाइंट्स के माध्यम से निजी स्वामित्व वाली कारों की बैटरियां चार्ज करना। बिलिंग मुख्य रूप से गृह/घरेलू मीटरिंग का भाग है।

ए सी "स्लो" चार्जिंग:

होम प्राइवेट चार्जर्स का उपयोग सामान्य रूप से 230 वाट/15ए सिंगल फेज प्लग के साथ किया जाता है जो लगभग अधिकतम 2.5 कि.वा. पावर तक चार्ज कर सकते हैं। ई.वी.एस.ई. वाहन के आनबोर्ड चार्जर को ए.सी. करंट सप्लाई करता है जो बैटरी को चार्ज करने के लिए ए.सी. ऊर्जा को डी.सी. में बदलता है।

पब्लिक चार्जिंग

घर के परिसर से बाहर चार्जिंग के लिए, इलेक्ट्रिक पावर से बिल आएगा तथा भुगतान लिया जाएगा। इन चार्जर्स द्वारा ली गई पावर को समय-समय पर व्यवस्थित करना होगा।

डी.सी. "फास्ट" चार्जिंग:

डी.सी. करंट चार्ज पोर्ट के माध्यम से सीधे इलेक्ट्रिक कार बैटरी को प्रावहित किया जाता है। एफ.सी. चार्जर्स (मुख्य रूप से 50 कि.वा. या अधिक) प्रति घंटा चार्जिंग 100 या अधिक किलो मीटर की रेंज की आपूर्ति कर सकता है। फास्ट चार्जर्स का उपयोग वाहनों को पूर्ण रूप से चार्ज करने के बजाये टॉप-अप के रूप में किया जाएगा। ये उन कैब कंपनियों और कॉर्पोरेट उपयोगकर्ताओं के लिए आवश्यक हैं जिनके पास इलेक्ट्रिक कारों का काफिला है।

ग. ई.वी. चार्जिंग के विकल्प

इलेक्ट्रिक वाहन को अपनाने के अभियान के लिए विभिन्न वाहन खंडों हेतु तत्काल फ्लैक्सिबल चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रबंध करने क आवश्यकता है। चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर संपूर्ण ई.वी. वैल्यू चेन में सबसे महत्वपूर्ण कारक है। स्थानीय स्थितियों के अनुसार विभिन्न चार्जिंग मॉडल की खोज से देश में इलेक्ट्रिक वाहन का तेजी से उपयोग किया जा सकेगा।

सभी वाहनों में ई.वी. शेयर- मौटे-तौर पर यह अनुमान लगाया गया है कि ई.वी. को अपनाने की वर्तमान दर से देश में सभी वाहनों का लगभग 15 प्रतिशत भाग वर्ष 2020 तक इलेक्ट्रिक वाहन (ई.वी.) के रूप में हो जाएगा। अतः वाहन रखने की क्षमता वाली जन सुविधाओं में सभी प्रस्तावित क्षमताओं के प्रतिशत संयोजन की कल्पना करते हुए, महानगर और 'टीयर-1' शहरों को ई.वी. की उच्च प्रतिशत शेयर, अर्थात् 20 प्रतिशत के रूप में माना जाएगा। अतः सभी नगरीय विकास दिशा-निर्देशों में चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर मानदंड उक्त प्रतिशतता के अनुरूप होने चाहिए।

परिसरों को संस्वीकृत पावर लोड- भारतीय नगरों के बिल्डिंग प्रकारों के प्रस्तावित सेट के लिए इन चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को शामिल करने हेतु, पावर डिस्कॉम द्वारा इस प्रकार की प्रत्येक बिल्डिंग के लिए बड़े हुए पावर लोड को निर्धारित किया जाए, जो परिसर में सभी निर्दिष्ट चार्जिंग प्वाइंट्स को साथ-साथ चलाने की कुल अतिरिक्त पावर आवश्यकता के अनुरूप हो। चार्जिंग प्रौद्योगिकी में उन्नति तथा चार्जर्स की अधिक पावर को खींचने की बढी

हुई क्षमता को देखते हुए यह सलाह दी जाती है कि प्रत्येक परिसर के लिए नियत लोड क्षमता को 30 वर्ष के दीर्घकालीन विजन को देखते हुए 1.25 के सुरक्षित गुणक तक रखा जाए।

तालिका 12: इलैक्ट्रिक चार्जिंग "मोड" और 'उपलब्धता'

वाहन प्रकार	स्लो चार्जिंग	फास्ट चार्जिंग	पब्लिक सी आई
दुपहिया टू व्हीलर्स	हां	नहीं	हां/लिमिटेड
तिपहिया श्री व्हीलर्स	हां	नहीं	हां/लिमिटेड
पीवी (कारों)	हां	हां	हां
पीवी (बसें)	नहीं	हां	हां

तालिका 13: ई वी प्रकारों (स्वामित्व के अनुसार) के लिए चार्जिंग विकल्प

वाहन प्रकार	प्राइवेट सी आई	पब्लिक सी एस	चार्जिंग का प्रमुख स्थान
दुपहिया टू व्हीलर्स	एस सी/बी एस	एस सी	निवास स्थल/कार्य स्थल
तिपहिया श्री व्हीलर्स	एस सी/बी एस	एस सी/बी एस	निवास स्थल/ पार्किंग स्टेशन
पीवी (कारों)	एस सी/बी एस	एफ सी	निवास/कार्य स्थल/अन्य सार्वजनिक स्थल
पीवी (बसें)	-	एफ सी/बी एस	बस टर्मिनल डिपो

टिप्पणी:

- निजी स्वामित्व वाले टू व्हीलर्स और यात्री वाहन (कारों) के लिए बैटरी स्वैपिंग (बीएस) का विकल्प प्राइवेट सी आई तक सीमित है।
- श्री व्हीलर्स के लिए अधिक तेजी से रिचार्ज करने के लिए बी एस केवल पी सी एस में उपलब्ध करवाने का प्रस्ताव है।
- पी वी (बसें) के लिए फ्लीटों के 100% आंतरिक उपयोग के लिए कैपटिव फास्ट चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर निजी स्वामित्व वाले डिपो/गैराजों द्वारा अपनाया जाए।

उपर्युक्त उपलब्ध ई वी चार्जिंग प्रौद्योगिकी और फास्टर चार्जिंग की प्रौद्योगिकी विकसति होने की वर्तमान प्रवृत्ति को देखते हुए विद्युत मंत्रालय ने प्रत्येक पब्लिक चार्जिंग स्टेशन पर **इलैक्ट्रिक वाहनों के लिए चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्थापित करने हेतु दिशानिर्देश और मानक जारी किए हैं।** ऐसे पी सी एस/किसी अन्य चार्जिंग स्टेशन/इंफ्रास्ट्रक्चर तक ग्रिड की पहुँच के लिए 'कनेक्टिविटी विनियम और सुरक्षा मानदंड' संबंधित प्राधिकरणों द्वारा निर्धारित किए जाएंगे जैसे कि केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण/विद्युत मंत्रालय।

घ. चार्जर विनिर्देश और पी सी एस इंफ्रास्ट्रक्चर

किसी भी स्थापित पी सी एस में एक या अधिक कियोस्क/बोर्ड होंगे "ई वी एस के लिए चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर" के लिए विद्युत मंत्रालय द्वारा 14 दिसंबर 2018 को अधिसूचित दिशानिर्देश और मानकों तथा 1 अक्टूबर, 2019 को अधिसूचित संशोधित दिशानिर्देशों और मानकों में यथानिर्धारित सभी चार्जर मॉडल स्थापित होंगे तथा अन्य आवश्यक विन्यास होंगे जो जरूरी समझे जाएं।

पब्लिक चार्जिंग स्टेशन सर्विस प्रोवाइडर चार्जिंग हब बनाने के लिए स्वतंत्र होंगे तथा विद्युत मंत्रालय के दिशानिर्देशों के अनुसार निर्धारित न्यूनतम चार्जों के अलावा अतिरिक्त कियोस्क/चार्जर स्थापित कर सकेंगे तथा आवश्यकता होने पर अतिरिक्त चार्जर स्थापित कर सकेंगे।

टिप्पणी:

1. न्यूनतम इंफ्रास्ट्रक्चर अपेक्षाएं ई वी मालिकों (गैर-व्यावसायिक आधार) के अपने प्रयोग के लिए निजी चार्जिंग स्थलों पर लागू नहीं होंगी।
2. कंपनी के अपने फ्लीट के लिए 100% आंतरिक उपयोग के लिए कैपिटल चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में सभी प्रकार के चार्जिंग को स्थापित करने तथा एन सी पी टाई अप की जरूरत नहीं होगी।

ड. स्थानीय क्षेत्र/भवन के अहाते में पी सी एस/एफ सी बी सी एस लगाना

विद्युत मंत्रालय द्वारा जारी किए गए दिशा-निर्देशों के अनुसार भवन परिसर/शहरी सीमाओं में स्थानीय सतर की सुविधाओं में पी सी एस के घनत्व/पीसीएस के बीच दूरी के संबंध में निम्नलिखित न्यूनतम मानकों का अनुपालन करना होगा।

i. स्थानीय स्तर पर (शहरी क्षेत्र के अंदर)

- 3 किमी. x 3 किमी. के ग्रिड के अंदर कम से कम एक पब्लिक चार्जिंग स्टेशन उपलब्ध करवाया जाएगा।

ii. भवन परिसर स्तर पर (विभिन्न भवन प्रकारों के लिए)

- व्यक्तियों के लिए निजी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर (गैर-व्यावसायिक उपयोग)
- विद्युत मंत्रालय के मार्गनिर्देशों के अधीन निर्धारित न्यूनतम विनिर्देशों के अनुसार ई वीएस चार्जिंग के सभी व्यावसायिक मोड के लिए कम से कम 1 पीसीएस।
- पी सी एस के साथ स्टैंड अलोन बैटरी स्वैपिंग स्टेशन जोड़े जाएं।

संक्षिप्तियां

UNFCC	-	संयुक्त राष्ट्र का जलवायु परिवर्तन पर फ्रेमवर्क कन्वेंशन
IPCC	-	जलवायु परिवर्तन पर अन्तर सरकारी पैनल
GHG	-	ग्रीन हाउस गैसे
2Ws	-	टू-व्हीलर्स
3Ws	-	थ्री व्हीलर्स
4Ws	-	चौपहिया/पी वी (कारें)
PVs	-	यात्री वाहन
CVs	-	व्यावसायिक वाहन
EV	-	विद्युत वाहन
EVSE	-	विद्युत वाहन आपूर्ति उपकरण
SC	-	स्लो चार्जर/स्लो चार्जिंग (एस सी)
FC	-	फास्ट चार्जर/फास्ट चार्जिंग (डीसी और कुछ एसी)
BS	-	बैटरी स्वैप
PCS	-	पब्लिक चार्जिंग स्टेशन
PCI	-	प्राइवेट चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर
Private CI	-	प्राइवेट चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर
URDPFI	-	शहरी एवं क्षेत्रीय विकास योजना निरूपण और कार्यान्वयन दिशानिर्देश, 2014
NSP	-	नेटवर्क (सूचना नेटवर्क) सेवा प्रदाता
SP	-	सेवा प्रदाता
FCB CS	-	द्रव शीतित बैटरी चार्जिंग स्टेशन

[सं. एफ 15(06)2016/एम.पी./पार्ट/06]

डी. सरकार, आयुक्त एवं सचिव

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY**NOTIFICATION**

New Delhi, the 12th February, 2020

Sub: Modifications in the Unified Building Bye-Laws (UBBL) for Delhi 2016

S.O. 668(E).—In exercise of powers conferred by Section 57 of Delhi Development Act, 1957 (61 of 1957), the Delhi Development Authority, with the prior approval of the Central Government, hereby make the following modification in the Unified Building Bye-Laws (UBBL) for Delhi 2016.

Sl. No.	Chapter/Para/Clause/Sub-clause of UBBL 2016	Proposed Modifications
i	ii	iii
Chapter 1		
1	1.4.18 Built up Area: The area covered by a building on all floors including cantilevered portion, mezzanine floors, if any, but except the areas excluded specifically under these Regulations.	1.4.18 Built up Area: The area covered by a building on all floors within the premise, used for activities or use, including cantilevered portion, basement, stilt/podium, utility, services, mezzanine floors (if any), other similar areas.
2	1.4.57 Ground Coverage: The portion of the building within the outer surface of the structural wall/column/slab measured at ground level excluding the projection/balcony/canopy/porch/void/shaft/ permitted free from FAR and cladding/curtain wall upto 150mm shall be considered as ground coverage.	1.4.57 Ground Coverage: The portion of the building within the maximum outer surface of the structural wall/column/slab measured at ground level shall be considered as ground coverage (excluding the mentioned limits of projection/balcony/canopy/porch/void/shaft/ cladding/ curtain wall etc.— refer 7.17.2 & 8.10)
3	1.4.75 b. Educational Buildings: These shall include any building used for school, college or day-care purposes for more than 8 hours per week involving assembly for instruction, education or recreation.	1.4.75 b. Educational Buildings: These shall include any building used for school, college, coaching centres (for students more than 20) or day-care purposes for more than 8 hours per week involving assembly for instruction, education or recreation.
4	1.4.79 Parapet: A low wall or railing built along the edge of a roof or a floor; maximum 1.5m for low-rise or maximum 1.8m for high-rise.	1.4.79 Parapet: A low wall or railing built along the edge of a roof or a floor. See 7.22
5	1.4.133 Wheel chair: Chair used by disabled people for mobility. The sizes of wheel chairs are mentioned below: Small wheel chair: 0.75 x 1.05 m Large wheel chair: 0.80 x 1.50 m	1.4.133 Wheel chair: Chair used by disabled people for mobility. 1.4.134 Private establishment: means a company, firm, cooperative or other society, associations, trust, agency, institution, organization, union, factory or such other establishment as the appropriate Government may, by notification, specify.

		<p>1.4.135 Public building: means a Government or private building, used or accessed by the public at large, including a building used for educational or vocational purposes, workplace, commercial activities, public utilities, religious, cultural, leisure or recreational activities, medical or health services, law enforcement agencies, reformatories or judicial foras, railway stations or platforms, roadways bus stands or terminus, airports or waterways.</p>
	Chapter 2	Chapter 2
6	<p>2.0.1 Procedure</p> <p>(b) The entire process from applying for sanction of building plan to issue of occupancy-cum-completion certificate shall consist of following steps:</p> <p>(i) Submission of application for sanction of building plan in Common Application Form (CAF) along with building permit fees, drawings and documents.</p> <p>(ii) Grant of sanction within stipulated period.</p> <p>(iii) Payment of requisite fees & charges, as applicable, and release of sanctioned building plan.</p> <p>(iv) Intimation of completion of work up to plinth level.</p> <p>(v) Plinth level inspection followed by issue of plinth level inspection certificate.</p> <p>(vi) Submission of application for issue of Occupancy-cum-Completion Certificate (OCC) in Common Occupancy-cum-Completion Certificate Request Form (COCCRF) along with requisite fees, drawings and documents.</p> <p>(vii) Inspection by all concerned departments.</p>	<p>2.0.1 Procedure</p> <p>(b) The entire process from applying for sanction of building plan to issue of occupancy-cum-completion certificate shall consist of following steps:</p> <p>(i) Submission of application for sanction of building plan and NOC applications in Common Application Form (CAF) along with building permit fees, drawings and documents.</p> <p>(ii) Grant of sanction within stipulated period, Payment of requisite fees & charges, as applicable, and release of sanctioned building plan.</p> <p>(iii) Intimation of completion of work up to plinth level.</p> <p>(iv) Plinth level inspection and online issue of plinth level inspection certificate.</p> <p>(v) Submission of application for issue of Occupancy-cum-Completion Certificate (OCC) and NOCs (Fire, Water etc) in Common Occupancy-cum-Completion Certificate Request Form (COCCRF) along with requisite fees, drawings and documents.</p> <p>(vi) Single joint site inspection by all concerned departments.</p> <p>(vii) Intimation of compounding fee and charges, if applicable, and release of OCC along with completion plan.</p>

	(viii) Intimation of compounding fee and charges, if applicable, and release of OCC and completion plan.	
7	<p>2.0.1 Procedure</p> <p>(d) Building permit not required:</p> <p>i. Plastering/cladding and patch repairs, except for the Heritage Buildings where Heritage Conservation Committee's permission is required.</p> <p>xi. For erection of lifts in existing buildings in residential plotted development (low-rise). Change/ installation/ rearranging/ relocating of fixture(s) or equipment/s without hindering other's property/public property shall be permitted.</p>	<p>2.0.1 Procedure</p> <p>(d) Building permit not required</p> <p>i. Plastering/ cladding and patch repairs *.</p> <p>xi) For erection of lifts in existing buildings in residential plotted development(low-rise). Change/installation/ rearranging/relocation of fixture(s) or equipment/s or HVAC-MEP services, UGR, STP/ETP without hindering other's property /public property shall be permitted.</p>
8	xiv) Public washroom, security room, Bank ATM, up to a maximum area of 9.0 sqm only (permitted in setback area, provided it does not obstruct fire vehicles movement) in plot more than 3000 sqm (other than residential plotted), as per Chapter 12.	xiv) Bank ATM (up to a maximum area of 9.0 sq.m. only), Public washroom, security room /guard room are permitted in setback area, provided it does not obstruct fire vehicles movement, in plot more than 3000 sqm (other than residential plotted), as per Chapter 12.
9		*Note: For Heritage Buildings, refer Annexure II.
10	<p>2.1.1 Plans and Drawings</p> <p>b) Layout Plan: For plots of area one hectare and above, layout plan/ revised layout plan prepared by the sanctioning authority or by the developer shall be submitted. Layout plan prepared by the developer shall be prepared and signed as per the details specified in bye-law 2.0.4.</p>	<p>2.1.1 Plans and Drawings</p> <p>b) Layout Plan: For plots of area one hectare and above, layout plan/ revised layout plan prepared by the Architect/Developer/Applicant shall be submitted. Layout Plan duly approved by the Competent Authority shall be submitted by the Architect/Developer/ Applicant, along with building plan application, in case the authority to approve the layout plan is different from the authority to sanction the building plans. Layout plan submitted by the Architect/Developer/Applicant shall be prepared and signed as per the details specified in bye-law 2.0.4.</p> <p>f) The Architect, while submitting building plan application, shall inspect the site and ensure that the building plan submitted are as per existing site conditions including existing construction, if any.</p>

11	2.3.3 Approval/ NOC from external agencies	2.3.3 Approval/ NOC from external agencies <i>Note: For applicability of Environmental Conditions, See 3.2.</i>
12		2.5.1.1 Inspection at the time of Sanction: The first inspection by the Sanctioning Authority shall be conducted for Plinth Level as per sub-clause 2.5.2 and final inspection shall be conducted for OCC as per sub-clause 2.7.5. The responsibility of construction/deviation from plinth level to the OCC shall rest with the Architect/Engineer/Supervisor/Structural Engineer as per the competency and the owner. (In UBBL 2016, notified on 22.03.2016, the inspection of the Sanctioning Authority for sanction of building plan of all type of buildings had been done away with).
	Chapter 7 General Building Requirement	Chapter 7 General Building Requirement
13	Table 7.1 Notes <i>1. Maximum permissible height for all types of building components mentioned in the above table is 4.8 m finished from floor level to soffit level of ceiling. However, if the Architect/ Engineer desires more than 4.8 m height of any building component in the project, the same may be permitted subject to the overall permissible height of building/structure.</i>	Table 7.1 Notes <i>1. Maximum permissible height for all types of building component is 4.8 m finished from floor level to soffit level of ceiling. However, if the Architect/ Engineer desires more than 4.8 m height of any building component in the project, the double height may be permitted without counting twice in FAR, subject to the overall permissible height of building/structure.</i>
14	7.2.4.2 Canopy In one storied residential buildings, only such canopy shall be permitted for each individual detached blocks. In more than one storied residential buildings, two canopy shall be permitted over ground floor/higher floor entrances.	7.2.4.2 Canopy In one storied residential buildings, only such canopy shall be permitted for each individual detached blocks. In more than one storied residential buildings, canopies shall be permitted over ground floor entrances with maximum height of 3 m. from Ground level.
15	<i>Note: Minimum 30% of the area of respective setback is to be maintained as open to sky.</i>	<i>(Deleted)</i>
16	7.11.2 Minimum Width Provisions for Passageway/Corridors i) The additional area of passageway/corridor constructed over and above the prescribed /permissible	7.11.2 Minimum Width Provisions for Passageway/Corridors i) The area of passageway/corridor including the additional area constructed over and above the

	limit, should not be counted towards FAR but shall be counted in Ground Coverage (<i>See 7.17.2.t.</i>)	prescribed/permissible limit, should not be counted towards FAR but shall be counted in Ground Coverage (<i>See 7.17.2.t.</i>). The width of the additional area shall not be more than the double of the prescribed /permissible limit.
17	<p>7.17.1</p> <p>Exemption to Projections in Open Spaces/Covered area</p> <p>Projections into open spaces: Every interior open space shall be kept, free from any erection thereon and shall be open to the sky. Nothing except cornice, chajjas or weather shade (not more than 0.75 m wide) shall overhang or project over the said open spaces so as to reduce the width to less than the minimum required.</p> <p><i>b. Pergola shall be permitted if constructed in the exterior open spaces within plot line or terrace. Such pergola shall not exceed 20% of ground coverage. Such pergolas shall have a minimum clear height of 2.2 m with 40% void.</i></p>	<p>7.17.1</p> <p>Exemption to Projections in Open Spaces/Covered area</p> <p>Projections into open spaces: Every interior open space shall be kept, free from any erection thereon and shall be open to the sky. Nothing except cornice, chajjas or weather shade (not more than 0.75 m wide) shall overhang or project over the said open spaces so as to reduce the width to less than the minimum required. Interior open to sky areas shall be allowed to cover with retractable roofing at the terrace level or at minimum double height to prevent climatic/weathering effects and the space below can be used as landscaped area, public space but can not be used for any commercial purpose.</p> <p>Exemption to Projections in Open Spaces/Covered area</p> <p><i>b. Pergola shall be permitted if constructed in the exterior open spaces within plot line or terrace. Such pergola shall not exceed 30% of ground coverage. Such pergolas shall have a minimum clear height of 2.2 m with 40% void. On terrace, the maximum height of the pergola shall not exceed the height of the Mumty.</i></p>
18	<p>7.17.2</p> <p>The following shall not be included in covered area for FAR and Ground Coverage calculations</p> <p><i>b. Rockery, lift/lift well, escalator/travellator well and well structures, plant nursery, water pool, swimming pool at any level (if uncovered), platform around a tree, tank, fountain, bench, chabutara with open top and/or unenclosed sides by walls, open ramps, compound wall, gate, slide swing door, fire staircase, fire towers, refuse area, fire control room, overhead water tank on top of building/open shafts, cooling towers as per fire norms. Fire tender movement shall be unhindered.</i></p>	<p>7.17.2</p> <p>The following shall not be included in covered area for FAR and Ground Coverage calculations, subject to Fire Safety Clearance and other mandatory clearances:</p> <p><i>b. Rockery, lift/lift well, escalator/travellator well and well structures, plant nursery, water pool, swimming pool at any level (if uncovered), platform around a tree, tank, fountain, bench, chabutara with open top and / or unenclosed sides by walls, open ramps, compound wall, gate, slide swing door, fire staircase, fire towers, refuse area, fire control room, overhead water tank on top of building/open shafts, UGR, STP, ETP, cooling towers or any other service structures as per fire norms.</i></p>

<p>e. Watch and ward cabins of total area not more than 4.5 sqm and 6sqm with W.C each at entry and exit only, within the property line. Porta cabins for guard room is permitted within the plot line in residential plots of size minimum 200 sqm and above.</p> <p>h. Covered sky bridges or intermittent floors as relief in high rise buildings having landscape areas, service floors in high-rise buildings, jogging tracks, swimming pools and other public spaces shall not be counted in FAR irrespective of height and not to be counted towards ground coverage.</p> <p>i. Architectural feature on ground or any other floor including rooftops such as swimming pool, terrace garden as approved by sanctioning authority, Delhi Urban Art Commission and Delhi Fire Service.</p> <p>j. Architectural elements such as louvers, end wall projected upto 900mm, pergolas, other sunshade elements (referred in clause 7.1 of these bye laws) should be free from FAR and Ground Coverage.</p> <p>o. ESS/ Meter Room with HT/LT panel, DG Room, AC Plant room, CC TV room/Control room, Fire Control room and similar services are permitted in the setback subject to approval of DFS and shall not be counted in ground coverage in FAR.</p> <p>p. Solar Panels on mounts at a clear height of 2m maximum from the terrace level to the springing point and subject to the max. height permitted by AAI.</p>	<p>Fire tender movement shall be unhindered.</p> <p>e. Watch and ward cabins of total area not more than 4.5 sqm and 6sqm with W.C each at entry and exit only, within the property line. Movable Porta cabins (max.size 2sqm) for guard room is permitted within the plot line in residential plots of size minimum 200 sqm and above.</p> <p>h. Sky bridges/Sky walks (covered or uncovered) or intermittent floors as relief in high rise buildings having landscape areas, service floors in high-rise buildings, jogging tracks, swimming pools and other public spaces shall not be counted in FAR irrespective of height and not to be counted towards ground coverage.</p> <p>i. Architectural and Landscape features on ground or any other floor including rooftops such as swimming pool, terrace garden or any other features, as approved by sanctioning authority, Delhi Urban Art Commission and Delhi Fire Service.</p> <p>j. Architectural elements such as louvers, end wall projected upto 900mm, pergolas, claddings upto 150mm in each side, other sunshade elements (referred in clause 7.1 of these bye laws) should be free from FAR and Ground Coverage.</p> <p>o. ESS/ Meter Room with HT/LT panel, DG Room, AC Plant room, CC TV room/Control room, Fire Control room, UGR, STP/ETP and similar services are permitted in the setback subject to approval of DFS and shall not be counted in ground coverage in FAR.</p> <p>p. Solar Panels at any height or level(including ground level)/terrace/roof top subject to the max. height permitted by AAI/clearance from DFS.</p> <p>u. Interior open to sky areas shall be allowed to cover with retractable roofing at the terrace level or at minimum double height to prevent climatic/weathering effects and the space below can be used as landscaped</p>
---	---

		area, public space but cannot be used for any commercial purpose.
19	<p>7.19</p> <p>Height Exemptions</p> <p>vi. Solar panel fixed on terrace as per 7.17.2.(p).</p>	<p>7.19</p> <p>Height Exemptions (within the permissible height of AAI)</p> <p>vi. Solar panel at any height or level (including ground level)//terrace/ roof top as per 7.17.2.(p).</p> <p>vii. Height of Car lifts/passenger lifts including the machine room accessible to roof top/terrace.</p> <p>viii. Toilet in terrace (refer 7.2.2.f)</p> <p>ix. Pergola upto the height of the Mumty, maximum 3m above the terrace of the top floor.</p>
20	<p>7.22 Parapet</p> <p>For buildings of height 24m and above, the parapet wall/railing shall be 1.8 m subject to approval of Fire Department.</p>	<p>7.22 Parapet</p> <p>For buildings of height 24m and above, the parapet wall/railing at terrace/roof level shall be 1.5 m height subject to approval of Fire Department.</p>
21	<p>7.24</p> <p>Special Provisions for Other Buildings which are not covered under MPD and Building Bye Laws:</p> <p>For Hospitals, Hotels & Banquets Halls, Stadiums, Jails, Court Complexes, Art Galleries, Museums, Filling Stations, Bus Terminals/ Depot, Multi-storey Parking, Sports Complexes and any other, the provisions in the following documents shall apply:</p>	<p>7.24</p> <p>Special Provisions for Other Structures/ Buildings which are not covered under MPD and Building Bye Laws:</p> <p>For Hospitals, Hotels & Banquets Halls, Stadiums, Jails, Court Complexes, Art Galleries, Museums, Filling Stations, Bus Terminals/ Depot, Multi-storey Parking, Sports Complexes and any other special structures/ buildings, the provisions in the following documents shall apply:</p>
22	<p>7.28 Lifts and Escalators</p> <p>Notes:</p> <p>b. <i>All the floors including basement shall be accessible by the lifts. The lifts provided in the buildings shall not be considered as a means of escape in case of emergency</i></p>	<p>7.28 Lifts and Escalators</p> <p>Notes:</p> <p>b. <i>All the floors including basement and roof top/terrace shall be accessible by the lifts. The lifts provided in the buildings shall not be considered as a means of escape in case of emergency.</i></p>
<p>Chapter 8</p> <p>Provisions for High rise Development</p>		
23	<p>8.10</p> <p>General features – free from FAR calculations</p> <p>b. Architectural elements such as louvers, end wall projected upto 900mm, pergolas, other sunshade elements (referred in clause 7.1 of</p>	<p>8.10</p> <p>General features – free from FAR calculations (subject to Fire Safety Clearance and other mandatory clearances):</p> <p>b. Architectural elements such as louvers, end wall projected upto 900mm, pergolas, claddings upto 150mm in each side, other</p>

	these bye laws) should be free from FAR and Ground Coverage.	sunshade elements (referred in clause 7.1 of these bye laws) should be free from FAR and Ground Coverage.
	k. Multilevel car parking with car lifts would be permitted with adequate fire safety.	k. Multilevel car parking with car lifts would be permitted with adequate fire safety(<i>refer 8.4.7.g.</i>)
	Chapter 9	
	Provisions for Structural Safety, Natural Disaster, Fire and Building Services	
24	9.3.8 Fire Check Floor/ Fire Cut off Floor a. A high rise building having height more than 70 m shall be provided with fire check floor (entire floor) above 70 m at immediate habitable floor level and so on after every 25 meters or 8 floors, whichever is less.	9.3.8 Fire Check Floor/ Fire Cut off Floor a. A high rise building having height more than 70 m shall be provided with fire check floor (entire floor) above 70 m at immediate habitable floor level and so on after every 60 meters .
25		9.4.7 Child Care Room The Child Care Room is meant to be used for the purpose of baby care, feeding, changing room for babies/children etc. with an aim to give comfort to mother and baby/child in all the Public Buildings and Private Establishments. a) The child care room shall be provided at convenient location on the ground floor of all the public/private buildings, easily accessible to all including persons with disabilities. b) The location of the child care room can be provided anywhere in the floor, preferably away from the general toilets, but suitably located near canteens/food stalls/pantry/common area or similar places. It should have ample visibility yet provide for adequate privacy and placed in a secure location. c) The child care room shall be free from FAR calculation. d) The minimum dimension of the child care room shall be as per habitable room as given in table 7.1 of UBBL-2016. Area 9.5sq.m Width 2.4m Height 2.75m e) The child care room shall have all the following features.

		<ul style="list-style-type: none"> i) Feeding cabin with adequate number of nursing chairs and counters. ii) One nursing counter with sink, mirror, soap dispenser and disposal bin. iii) Cradle with quilts. iv) It should be adequately ventilated. v) It should also be accessible by persons with disabilities. vi) Adequate level of privacy with curtains or any other measures shall be provided in the feeding cabin and with door at the entrance of child care room. vii) Sharp edges and hard corners shall be avoided inside the child care room. viii) Use of non slip floor surfaces, easily cleanable finishes etc. is preferable. ix) An emergency alarm bell/ button should be provided alongside the light button in case of emergency. x) The location of the child care room should be provided in way-finding signage and in site plan for its easy reach.
	Chapter 10 Provisions for Green Buildings	
26		<p>10.5 Electric Vehicle Charging Infrastructure (EVCI):</p> <p>The Ministry of Power, Govt. of India issued Guidelines & Standards for charging infrastructure for electric vehicles on 14.12.2018 and revised guidelines on 01.10.2019. These Guidelines & Standards are subject to modification from time to time and modified version of Central Government are to be referred.</p> <p>Based on the occupancy pattern and the total parking provisions in the premises of the various building types, charging infrastructures shall be provided only for EVs (Electric Vehicles), which is currently assumed to be 20% of all 'vehicle holding capacity'/'parking capacity' at the premise.</p> <p>Additionally, the building premise will have to have an additional power load, equivalent to the power required for all charging points {in a Public Charging Station (PCS)} to be operated</p>

		<p>simultaneously, with a safety factor of 1.25 (refer 6. Explanatory Note on Electric Vehicle Charging Infrastructure - Annexure X).</p> <p>10.5.1 Residential Buildings (plotted house)</p> <p>Table 10.2: Charging Infrastructure requirements for individual house/ self-use</p> <table border="1" data-bbox="879 488 1401 1131"> <tr> <td>Building type</td> <td>Plotted House</td> </tr> <tr> <td>Ownership of Station</td> <td>Private (Owner)</td> </tr> <tr> <td>Connection and Metering</td> <td>Domestic meter</td> </tr> <tr> <td>Type of Charger</td> <td>Slow chargers as per owner's specific requirements</td> </tr> <tr> <td>Modes of Charging</td> <td>AC (Single charging gun)</td> </tr> <tr> <td>Norms of Provisions</td> <td>Min. 1 SC and additional provisions as per the owner individual.</td> </tr> </table> <p>Note:</p> <ul style="list-style-type: none"> <i>The Charging Infrastructure (CI) installed by a home owner shall be construed as a Private CI meant for self-use (non-commercial basis) as per the note at clause no D of the explanatory note at Annexure X-Appendix II.</i> <p>10.5.2 All other buildings (including Group Housing)</p> <p>Any PCS installed at Public/Private areas or building premises of any category that caters to commercial mode of charging of EVs shall be deemed as a Public Charging Station and shall have to install the minimum requirements of chargers as specified in the Guidelines & Standards of Ministry of Power, GoI. However, in order to provide sufficient charging points for the EV share in all vehicles, ratio of types of chargers is recommended in the table below -</p> <p>Table 10.3: Charging Infrastructure requirements for PCS (commercial use)</p> <p>For table Refer Appendix I</p>	Building type	Plotted House	Ownership of Station	Private (Owner)	Connection and Metering	Domestic meter	Type of Charger	Slow chargers as per owner's specific requirements	Modes of Charging	AC (Single charging gun)	Norms of Provisions	Min. 1 SC and additional provisions as per the owner individual.
Building type	Plotted House													
Ownership of Station	Private (Owner)													
Connection and Metering	Domestic meter													
Type of Charger	Slow chargers as per owner's specific requirements													
Modes of Charging	AC (Single charging gun)													
Norms of Provisions	Min. 1 SC and additional provisions as per the owner individual.													

		(Annexure C 9). *For Explanatory Note on Electric Vehicle Charging Infrastructure – Refer Appendix II (Annexure C 10).
	Chapter 11 Provisions for Universal Designs for Persons with Disabilities, Elderly and Children	
27	11.0 Applicability These regulations are applicable to all buildings and facilities used by the public such as educational, institutional, assembly, commercial, business, mercantile buildings and group housing etc. It shall apply to private residences (residential plotted development).	11.0 Applicability These regulations are applicable to all buildings and facilities used by the public such as educational, institutional, assembly, commercial, business, mercantile buildings etc. It shall not apply to private residences (Residential Plotted Development). For Residential Group Housing, it shall apply to the common areas in the ground level/stilts.
28	11.8 Toilet Rooms and Sanitary Rooms The accessible toilet room shall be located as close as possible to the existing toilet block and should be easy to find.	11.8 Toilet Rooms and Sanitary Rooms The accessible toilet room shall be located as close as possible to the existing toilet block/ near the entrance/reception/waiting area/common area/stilts etc. and should be easy to find.
	Chapter 12 “SWACCH DELHI”- Provisions for Public Washroom Complexes	
29	12.2 All complexes (public toilets/ wash rooms, ATM, Guard Room) should be constructed mainly in the setback area within the plots, provided they do not obstruct the firefighting path.	12.2 All complexes (public toilets/ wash rooms, ATM, Guard Room) should be constructed mainly in the setback area within the plots, provided they do not obstruct the firefighting path. These complexes shall follow the Provisions for Universal Designs for Persons with Disabilities, Elderly and Children.
30	12.5 In such complexes, an ATM (Automated Teller Machine) room (including guard room) with a maximum floor area of not exceeding 9.0 sq.m shall also be included for usage of general public.	12.5 In such complexes, Bank ATM (up to a maximum area of 9.0 sqm only), Public washroom, Security Room/Guard Room shall be permitted in the setback area - for usage of general public, provided it does not obstruct fire vehicles movement. (refer 2.0.d. xiv).
	ANNEXURE –III	
31	Fees and Charges a. Building Permit Fee: v. In case an application of building permit is rejected, then no refund shall be made.	Fees and Charges a. Building Permit Fee: v. The fee for resubmission of rejected Building Plan application/permit shall be charged at the rate of Rs. 1/- per sqm of built up area for upto three subsequent rejections. In case the Building Plan

		application/permit is rejected for the fourth and fifth time, the Building permit fee shall be charged at the rate of 25% and 50% respectively of the original building permit fee (<i>i. above</i>) - calculated for the first time, on the same Online ID. In case, the Building Plan application/permit is rejected for the sixth time, the applicant/ architect shall have to pay 100% processing/permit fee and will have to apply with new online ID afresh.
ANNEXURE –IV		
PENAL ACTION FOR VIOLATION OF PROVISIONS OF MASTER PLAN/ZONAL PLAN REGULATIONS/ BYE-LAWS		
32	(B) Compoundable Items (i) An open urinal having wall up to 1.7 m height-No penalty. (ii) Water storage tank over open urinal with walls up to 1.70 m in ht.-No penalty, if sanctioned. If not sanctioned, Rs. 500/- each.	(B) Compoundable Items (i) Toilet constructed without sanction on terrace (refer 7.2.2 f) – Rs.500/-per sqm. (<i>deleted</i>)
ANNEXURE –XIV		
33	Constitution of High Powered Committee for Single Window Plan Sanction and Completion	(<i>Deleted</i>) (Since the Single Window Online Building Permit System is in place).

Appendix I

Table 10.3: Charging Infrastructure requirements for PCS (commercial use)

Building Type	Any Building type			
Ownership of Station	Service provider			
Connection and Metering	Commercial Metering and Payment			
Types of Charger	as per min. requirements specified in MoP Guidelines (refer Annexure IV)			
Additional Chargers	PCS service providers shall install additional number of kiosk/chargers beyond the minimum specified requirements to meet the ratio of charging points as prescribed below (by the type of vehicles).			
Norms of Provisions for charging points	4Ws 1 SC - each 3 EVs 1 FC - each 10EVs	3Ws 1 SC - each 2 EVs	2Ws 1 SC - each 2 EVs	PV (Buses) 1 FC - each 10 EVs

Note:

- Charging bays shall be planned currently at 20% capacity of all vehicles including 2Ws and PVs(cars)
- Open metering and on-spot payment options to be available for all users.
- Provision of FCB CS and BS shall not be mandatory, and will be at the discretion of the service provider.

Appendix II

6. Explanatory Note on Electric Vehicle Charging Infrastructure

A. Rationale for EVCI establishment

Rapid urbanization coupled with adoption of mechanized transportation modes has resulted in high emissions of Green House Gases that goes on to impact Global warming. Unless, the global surface temperature rise is restricted to no more than 2°C compared with pre-industrial levels, the IPCC has warned that the world will see irreversible catastrophic climate change.

India being a signatory to the UNFCCC, has pledged for efforts to assess the Greenhouse Gas Emissions (GHG) of anthropogenic origin and removal by sinks. India's per capita emissions are still considered low at 1.9 tonnes (2013), but its total emissions are next only to China and the US and is likely to overtake those of the EU by 2019.

While comparing the Indian cities for their emission scores, Delhi is on top as the biggest emitter at over 38 million tonnes of carbon dioxide equivalent overall emissions, followed by Greater Mumbai at 22.7 million tonnes and Chennai at 22.1 million tonnes, Kolkata at 14.8 million tonnes, Bangalore at 19.8 million tonnes, Hyderabad at 13.7 million tonnes and Ahmedabad at 9 million tonnes were the other cities whose emissions for the year were calculated sector wise.

As per the statistics of Transport Department (GNCTD), total number of vehicles in Delhi is more than the combined total vehicles in Mumbai, Chennai and Kolkata. Delhi has 85 private cars per 1000 population against the national average of 8 cars per 1000 population. In terms of CO₂ emissions due to motor vehicles, Delhi emits about 12.4 million tonnes while the city of Bengaluru emits about 8.6 million tonnes.

Therefore, addressing the quantum of emissions from the “Transport” and “Domestic” sector emerges to be the high priority subjects under the overarching umbrella of “*Climate change mitigation*” as committed to the UNFCCC.

Encouraging “Electric Vehicles” as a viable option for phased transportation in terms of short and long distance trips with appropriate “Charging Infrastructure” is therefore, the pre-condition for this paradigm shift / phased migration to sustainable transportation.

For this changes are required in Infrastructure provisions (at Regional and City levels) and in Development Control Regulations (in terms of provisions therein) to include the formulations of norms and standards for “*Charging Infrastructure*” in the said Mater Plan Regulations and State Bye-Laws for adoption across the country suiting local conditions.

B. EV Charging Technology

B.1 Electric Vehicle Supply Equipment (EVSE):

An EVSE is a wall mounted box that supplies electric energy for recharging of electric vehicle batteries. Also EVSEs have a safety lock-out feature that does not allow current to flow from the device until the plug is physically inserted into the car.

EVSEs can be customized with added features like:

- Authentication
- Integrated payment gateways
- Software for remote monitoring.

As electric vehicle charging technology continues to advance, several standards and guidelines have become widely accepted across the industry. This section gives a brief overview of charging infrastructure technology, standards, and terminology.

B.2 Different types of EVSE:

Charging speeds- Charging power, which determines the time required to charge a vehicle, can vary by orders of magnitude across charge points, as shown in Table 1. A small household outlet may charge as slowly as 1.2 kW, while the most advanced rapid charging stations can charge at up to 350 kW. Charging infrastructure is broadly broken into three categories based on speed: Level 1, Level 2, and direct current (DC) fast charging (sometimes referred to as Level 3).

Private Charging

Charging batteries of privately owned cars through domestic charging points. Billing is mostly part of home/domestic metering.

AC "Slow" Charging:

The home private chargers are generally used with 230V/15A single phase plug which can deliver a maximum of up to about 2.5KW of power. The EVSE supplies AC current to the vehicle's onboard charger which in turn converts the AC power to DC allowing the battery to be charged.

Public Charging

For charging outside the home premises, electric power needs to be billed and payment needs to be collected. The power drawn by these chargers may need to be managed from time to time.

DC "Fast" Charging:

DC current is sent to the electric car's battery directly via the charge port. FC chargers (usually 50 KW or more) can supply 100 or more kilometers of range per hour of charging. The fast chargers would generally be used as a top-up, rather than fully charging vehicles. These are important for cab companies and corporate users who have a fleet of electric cars.

C. Options for EV Charging

There is an urgent need to offer flexible charging infrastructure for different vehicle segments to drive adoption of EVs. Charging infrastructure is the most crucial enabler in the entire EV value chain. The exploration of different charging models according to the local conditions shall enable faster deployment of electric vehicles in the country.

EV share in all vehicles - It has been broadly projected that by the current rate of adoption of EVs, about 15% of all vehicles in the country would be EVs by the year 2020. Therefore, while assuming percentage composition of all proposed capacities in Public facilities of vehicle holding capacity, the Metropolitan and 'Tier I' cities will be assumed to have a higher percentage share of EVs, say 20% for now. The charging infrastructure prescriptions in all urban development guidelines shall, therefore, be in consonance with the said percentage.

Power Load sanction to premises – While adding these Charging Infrastructures to the proposed set of building types of the Indian cities, *enhanced Power Load shall have to be had for each such building type by the Power DISCOMs*, commensurate to the total additional power requirement of simultaneous operation of all the prescribed charging points in the premise. With further advancement of charging technologies and the enhanced capacity of chargers to draw more power, it is advised that the load capacity assigned to each premise should be kept with a safety factor of 1.25 with a long-term vision of 30 years.

Table 12: EVs charging "modes" and 'availability'

Vehicle type	Slow Charging	Fast Charging	Public CI
2 Wheelers	Y	N	Yes/Limited
3 Wheelers	Y	N	Yes/Limited
PVs (Cars)	Y	Y	Yes
PVs (Buses)	N	Y	Yes

Table 13: Charging options for EV types (by ownership)

Vehicle type	Private CI	Public CS	Predominant place of charging
2 Wheelers	SC/BS	SC	Point of residence / Work
3 Wheelers	SC/BS	SC/BS	Residence / Parking stations
PVs (Cars)	SC/BS	FC	Residence / Point of work / other public places
PVs (Buses)	-	FC/BS	Bus Terminals/Depots

Note:

- *The option of Battery Swapping (BS) for privately owned 2Ws and PV(Cars) is limited to Private CI.*
- *For 3 Ws the BS is proposed to be made available in PCS, for faster recharge experience only*
- *For PV (Buses), Captive Fast charging infrastructure for 100% internal use for fleets may be adopted by privately owned Depots/Garages.*

Based on the above stated EV charging technologies available and the current trend of evolving technologies of faster charging experience, the Ministry of Power has issued **Guidelines and Standards for setting up Charging Infrastructure for Electric Vehicles** for charging infrastructure to be installed at every Public Charging Station (PCS). 'Connectivity regulations and Safety norms' shall be defined by respective authorities such as Central Electric Authority/MoP for grid access to such PCS / any other charging station/infrastructure.

D. Charger Specifications and PCS Infrastructure

Any installed PCS shall have one or more electric kiosk/boards with installation of all charger models as prescribed in the **Guidelines and Standards notified by Ministry of Power, dated 14 December 2018 and revised Guidelines & Standards, dated 1st October 2019 for "Charging Infrastructure for EVs"**, with other necessary arrangements as deemed necessary.

Public Charging Station service providers shall be free to create charging hubs and to install additional number of kiosk/chargers in addition to the minimum chargers prescribed vide the MoP Guidelines, including options for installation of additional chargers, if required.

Note:

1. *Minimum infrastructure requirements do not apply to Private Charging Points meant for self-use of individual EV owners (non-commercial basis).*
2. *Captive charging infrastructure for 100% internal use for a company's own fleet will not be required to install all type of chargers and to have NSP tie ups.*

E. Location of PCS / FCB CS in local area / building precincts

In accordance with the Guidelines issued by the *Ministry of Power (MoP)*, following minimum standards with regard to density of/distance between PCS in local level facilities in building premise/urban precincts shall be followed.

i. At the Local levels (within the urban area):

- At least 1 Public Charging Station is to be available within a grid of 3Km. x 3Km.

ii. At the Building premise levels (for various building types)

- Private charging infrastructure (non-commercial use) for individuals.
- For all commercial modes of charging EVs, at least 1PCS, as per minimum specifications laid under MoP guidelines.
- Standalone Battery Swapping Stations may be added with the PCs.

Abbreviations:

UNFCC	-	United Nations Framework Convention on Climate Change
IPCC	-	Intergovernmental Panel on Climate Change
GHG	-	Green House Gases
2Ws	-	Two wheelers
3Ws	-	Three wheelers
4Ws	-	Four wheelers / PV(cars)
PVs	-	Passenger Vehicles

CVs	-	Commercial Vehicles
EV	-	Electric Vehicle
EVSE	-	Electric Vehicle Supply Equipment
SC	-	Slow Charger / Slow Charging (AC)
FC	-	Fast Charger / Fast Charging (DC and a few AC ones)
BS	-	Battery Swap
PCS	-	Public Charging Stations
PCI	-	Public Charging Infrastructure
Private CI	-	Private Charging Infrastructure
URDPFI	-	Urban and Regional Development Plan Formulation and Implementation Guidelines, 2014
NSP	-	Network Service Provider (information network)
SP	-	Service Provider
FCB CS	-	Fluid Cooled Battery Charging Station

[No. F. 15(06)2016/MP/Pt./06]

D. SARKAR, Commissioner-cum-Secretary